रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-जी.ओ.-अ.-23092024-257405 CG-GO-E-23092024-257405

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 737] No. 737] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 2024/भाद्र 28, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2024/BHADRA 28, 1946

> संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) अधिसूचना

गुरूग्राम, 13 अगस्त, 2024

गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण और वितरण में कनेक्टिविटी और निर्बाध पहुंच) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024

सं. जेईआरसी -21/2017.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 86(3) और धारा 181 के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में आयोग को सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उचित सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के बाद, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) एतद् द्वारा अपने मौजूदा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) (अंतर-राज्यीय पारेषण और वितरण में कनेक्टिविटी और निर्बाध पहुंच) विनियम, 2017 (इसके बाद मूल विनियम के रूप में संदर्भित) में निम्नलिखित संशोधन करता है।

- 1) संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और सीमा:
 - (क) इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) (अंतर-राज्यीय पारेषण और वितरण में कनेक्टिविटी और निर्बाध पहुंच) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

6021 GI/2024 (1)

- (ख) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- (ग) ये विनियम गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, पुदुचेरी और चंडीगढ़ पर लागू होंगे।

2) मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन:

- (i) विनियम 2.1 (ख) में, "ओपन एक्सेस" के बाद "/ ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।
- (ii) विनियम 2.1 (ग) में, "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है।
- (iii) विनियम 2.1(प.1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।:

इंटर-कनेक्शन बिंदु का मतलब पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली के साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन सुविधा का इंटरफ़ेस बिंदु होगा, जैसा भी मामला हो:

- पवन ऊर्जा परियोजनाओं और सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के संबंध में, इंटर-कनेक्शन बिंदु पूलिंग सब-स्टेशन के एचवी साइड पर आउटगोइंग फीडर पर लाइन आइसोलेटर होगा।;
- ii. जल विद्युत उत्पादन, पंप्ड भंडारण जल उत्पादन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली और भंडारण (यदि भंडारण केवल नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है) उत्पादन, अपिशष्ट से ऊर्जा आधारित उत्पादन, बायोमास और खोई आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं के संबंध में, इंटर-कनेक्शन बिंदु जनरेटर ट्रांसफार्मर के के एचवी साइड पर आउटगोइंग फीडर पर लाइन आइसोलेटर होगा;"
- (iv) विनियम 2.1 (फ) में, "/लॉग टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "लॉग टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है और "/एलटीजीओए " को "एलटीओए" के बाद जोड़ा जाता है।
- (v) विनियम 2.1 (ब) में, "/मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "मीडियम-टर्म ओपन एक्सेस " के बाद जोड़ा जाता है और "/एमटीजीईओए" को "एमटीओए" के बाद जोड़ा जाता है।
- (vi) विनियम 2.1(घ.1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

बैंकिंग ऑफ एनर्जी का अर्थ है अधिशेष ग्रीन एनर्जी/ नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे ग्रिड में डाला जाता है और ग्रीन एनर्जी मुक्त पहुँच उपभोक्ताओं द्वारा वितरण लाइसेंसधारी के पास जमा किया जाता है और जिसे अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति के लिए प्रभारों के साथ निकाला जाएगा;

(vii)विनियम 2.1(ङ.1) में, "अर्थ अवधि" के बाद "एक (1) माह का" जोड़ा जाता है।

(viii) विनियम 2.1(खख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

ग्रीन एनर्जी/ रिन्यूएबल एनर्जी का अर्थ है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत ऊर्जा जिसमें जल विद्युत, पंप स्टोरेज पनिबज्जी उत्पादन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली और भंडारण (यदि भंडारण केवल नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है), अपशिष्ट से ऊर्जा आधारित उत्पादन, बायोमास और खोई आधारित सह-उत्पादन संयंत्र या कोई अन्य तकनीक शामिल है जिसे समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है और इसमें कोई भी तंत्र भी शामिल होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के उत्पादन सहित जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है;

(ix) विनियम 2.1(घघ) में, "/शॉर्ट-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "शॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है

और "एसटीओए" के बाद "/एसटीजीईओए" जोड़ा जाता है।

- (x) विनियम 2.1 (जज.2), "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है।
- (xi) मूल विनियम के विनियम 2.1 (जज.2) अर्थात "तृतीय पक्ष उपभोक्ता" के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाता है:
- (क) "च.1) "केंद्रीय नोडल एजेंसी" का अर्थ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सिंगल विंडो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस सिस्टम स्थापित करने और संचालित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसचित नोडल एजेंसी है:"
- (ख) "द.1) "इकाई" से तात्पर्य ऐसे उपभोक्ता से है जिसने एकल कनेक्शन के माध्यम से या वितरण लाइसेंसधारी के एक ही विद्युत प्रभाग में स्थित 100 किवा या उससे अधिक के कुल 100 किवा या उससे अधिक के एकाधिक कनेक्शनों के माध्यम से 100 किवा या उससे अधिक की अनुबंधित मांग या स्वीकृत भार प्राप्त किया है, कैप्टिव उपभोक्ताओं को छोडकर:

बशर्ते कि कैप्टिव उपभोक्ताओं के मामले में कोई भार सीमा नहीं होगी:"

- (ग) "द.4) "जीवाश्म ईंधन" से तात्पर्य कोयला, लिग्नाइट, गैस, तरल ईंधन या इनका संयोजन जैसे ईंधन से है जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, जिसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए थर्मल जनरेटिंग स्टेशन में किया जाता है:"
- (घ) "न.1) "ग्रीन अमोनिया" से तात्पर्य नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित अमोनिया से है; इसमें बैंक में जमा की गई नवीकरणीय ऊर्जा और बायोमास से उत्पादित अमोनिया शामिल है।"
- (ङ) "न.2) "ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसकी अनुबंधित मांग या स्वीकृत भार 100 किवा या उससे अधिक है या समय-समय पर नियमों में संशोधन किया जा सकता है।
- (च) "न.3) "ग्रीन हाइड्रोजन" का अर्थ नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन है, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस या बायोमास के रूपांतरण के माध्यम से उत्पादन शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा में नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न ऐसी बिजली भी शामिल है जिसे लागृ विनियमों के अनुसार ऊर्जा भंडारण प्रणाली में संग्रहीत किया जाता है या ग्रिड में इंजेक्ट किया जाता है।

जबिक, इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन के लिए: - जल उपचार, इलेक्ट्रोलिसिस, गैस शुद्धिकरण और हाइड्रोजन के सुखाने और संपीड़न से उत्पन्न होने वाले गैर-जैविक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन प्रति किग्रा हाइड्रोजन में 2 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (किलोग्राम CO₂, समतुल्य/किग्रा हाइड्रोजन) से अधिक नहीं होगा. जिसे पिछले 12 महीने की अवधि के औसत के रूप में लिया गया हो।

जबिक, बायोमास के रूपांतरण के माध्यम से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन के लिए:- बायोमास प्रसंस्करण, ऊष्मा/भाप उत्पादन, बायोमास को हाइड्रोजन में रूपांतरण, गैस शुद्धिकरण और सुखाने तथा हाइड्रोजन के संपीड़न से उत्पन्न होने वाले गैर-जैविक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पिछले 12 महीने की अवधि में औसतन प्रति किग्रा हाइड्रोजन (किलोग्राम CO₂ समतुल्य/किग्रा हाइड्रोजन) 2 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य से अधिक नहीं होगा;"

(छ) "खख.2) "नियम" का अर्थ विद्युत (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 और इसके बाद के संशोधन होंगे:"

3) मूल विनियमों के विनियम 1.2 में संशोधन:

- (I) विनियम 1.2(7) और इसके प्रावधान में, "/लॉन्ग-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "लॉन्ग-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है, "/मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "मीडियम-टर्म के बाद" जोड़ा जाता है ओपन एक्सेस" और "/ शॉर्ट-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "शॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है।
- (II) विनियम 1.2(8) में "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है।
- 4) मूल विनियमों के विनियम 1.3 में संशोधन:
 - (I) विनियम 1.3(7) में, "(समय-समय पर संशोधित)" को "केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियमन, 2007" के पश्चात जोड़ा जाता है।
 - (II) विनियम 1.3(9) और उसके परंतुक में, "लॉन्ग-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद "/लॉन्ग-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है, "मीडियम-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद "/मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है, "शॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद "/शॉर्ट-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है और "ओपन एक्सेस" के बाद "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।
 - (III) विनियम 1.3(10) में "ओपन एक्सेस" के बाद "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।
- 5) मूल विनियमों के अध्याय-2 का शीर्षक निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

"ओपन एक्सेस/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए सामान्य शर्तें"

6) विनियम 2.1 का शीर्षक निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

"2.1 ओपन एक्सेस/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का चरणबद्ध कार्यान्वयन"

7) मूल विनियमों के अध्याय-2 में विनियम 2.1 में दूसरे और तीसरे प्रावधानों को शामिल करना:

मूल विनियमों के अध्याय-2 में विनियम 2.1 के पहले प्रावधान के बाद निम्नलिखित प्रावधान जोड़े जाते हैं:

आगे यह भी प्रावधान है कि जिन उपभोक्ताओं की अनुबंधित मांग या स्वीकृत भार 100 किवा या उससे अधिक है या जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, उन्हें वितरण लाइसेंसधारी की प्रणाली में किसी भी परिचालन बाधाओं के अधीन, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान किया जाता है।

यह भी प्रावधान है कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के तहत बिजली लेने वाले कैप्टिव उपभोक्ताओं के लिए बिजली की आपुर्ति की कोई सीमा नहीं होगी।

8) विनियम 2.2 का शीर्षक निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

"2.2 ओपन एक्सेस/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए पात्रता और संतुष्ट की जाने वाली शर्तें"

- 9) मूल विनियमों के विनियम 2.2(1) में संशोधन:
 - I. विनियम 2.2(1)(ख) में, "उत्पादक कंपनी" के बाद "नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कंपनी सहित" जोड़ा जाता है।
 - II. विनियम 2.2(1) के परंतुक में, "ओपन एक्सेस" के बाद "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।
 - III. 2.2(1) के बाद निम्नलिखित परंतुक को निम्नानुसार जोड़ा जाता है:

बशर्ते कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता एक दिन के दौरान 15 मिनट के समय अंतराल के लगातार बारह टाइम ब्लॉक के लिए ओपन एक्सेस के माध्यम से खपत की गई बिजली की मात्रा में बदलाव नहीं करेगा।

- IV. विनियम 2.2(2)(ख) में, "उत्पादक कंपनी" के बाद "नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कंपनी सहित" जोड़ा जाता है।
- V. विनियम 2.2(2) और इसके परंतुक में, "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है"।
- VI. विनियम 2.2(4) और इसके परंतुक में, "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है"।
- 10) विनियम 2.2(3) में, "ओपन एक्सेस" के बाद "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।
- 11) विनियम 2.4 का शीर्षक निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:
 - "2.4 ओपन एक्सेस/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले मौजूदा उपभोक्ताओं और उत्पादन कंपनी के लिए प्रावधान"
- 12) विनियमन 2.4 में, "एक उत्पादन कंपनी" के बाद "नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कंपनी सहित" जोड़ा जाता है और "ओपन एक्सेस" के बाद "/ ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।
- 13) विनियम 2.2(6) में, "ओपन एक्सेस" के बाद "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।
- 14) विनियम 2.7 का शीर्षक निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:
 - "2.7 ओपन एक्सेस/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान करने के मानदंड"
- 15) मूल विनियमों के विनियम 2.7 में संशोधन:
 - I. विनियम 2.7(1) और उसके परंतुक में, "लॉन्ग-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद "/लॉन्ग-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।
 - II. विनियम 2.7(2) और उसके परंतुक में, "लॉन्ग-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद "/लॉन्ग-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है और "मीडियम-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद "/मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।
 - III. विनियमन 2.7(3) और उसके परंतुक में, "लॉन्ग-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद "/लॉन्ग-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है, "मीडियम-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद "/मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है, "शॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद "/शॉर्ट-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।
- 16) विनियम 3.1 का शीर्षक निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:
 - "3.1 ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं की श्रेणियां"
 - 17) विनियमन3.1 (ग) में, "/लॉन्ग-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "लॉन्ग-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है, "मीडियम-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद "/मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को जोड़ा जाता है और "शॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद "/शॉर्ट-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को जोड़ा जाता है।
- 18) विनियम 3.2 का शीर्षक निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:
 - "3.2 ओपन एक्सेस/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए नोडल एजेंसी और शुल्क"
- 19) विनियम 3.2(1) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाता है:
 - बशर्ते कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस से संबंधित सभी आवेदन केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा स्थापित पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदनों को केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा नोडल एजेंसी को भेजा जाएगा। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान करने की प्रक्रिया विनियम 3.7 (ए) द्वारा शासित होगी:
- 20) विनियम 3.2(3) के बाद के परंतुक को हटाया जाता है।
- 21) मूल विनियमों के विनियम 3.5.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:
 - आवेदन के साथ प्रति मेगावाट या उसके हिस्से के लिए एक लाख रुपये (₹ 1,00,000) की बैंक गारंटी संलग्न करनी होगी। बैंक गारंटी विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार प्रारूप में नोडल एजेंसी के पक्ष में होगी।

22) मूल विनियमों के विनियम 3.6.3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

आवेदन के साथ प्रति मेगावाट या उसके हिस्से के लिए बीस हजार रुपये (₹ 20,000) की बैंक गारंटी संलग्न करनी होगी। बैंक गारंटी विस्तृत प्रक्रिया के तहत निर्धारित तरीके से नोडल एजेंसी के पक्ष में होगी।

23) मूल विनियमों के विनियम 3.7 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाता है।:

3.7(क) ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस अनुदान की प्रक्रिया

- (क) ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस आवेदक को केन्द्रीय नोडल एजेंसी द्वारा स्थापित केन्द्रीय पोर्टल पर केन्द्रीय नोडल एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में सभी पहलुओं से पूर्ण आवेदन जमा करना होगा।
- (ख) आवेदन को केन्द्रीय नोडल एजेंसी द्वारा आगे के सत्यापन के लिए संबंधित नोडल एजेंसी को भेजा जाएगा और केन्द्रीय नोडल एजेंसी से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर नोडल एजेंसी द्वारा उस पर निर्णय लिया जाएगा।

आवेदन को संसाधित करने के लिए निम्नलिखित समय-अनुसूची का पालन किया जाएगा:

क्र.सं.	विवरण	समयसीमा समयसीमा	टिप्पणी
1.	वह तिथि जिस दिन केंद्रीय नोडल एजेंसी से नोडल एजेंसी को आवेदन प्राप्त हुआ	T0 = शून्य तिथि	
2.	आवेदन प्राप्ति की पावती	T0 = शून्य तिथि	पावती इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा तुरंत प्रदान की जाएगी
3.	नोडल एजेंसी द्वारा आवेदन की स्वीकृति यह पुष्टि करने के बाद कि आवेदक द्वारा प्रसंस्करण शुल्क और बीजी सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं	T0 + 1 कार्य दिवस	नोडल एजेंसी किसी भी त्रुटि या छूटी हुई जानकारी के बारे में आवेदक को सूचित करेगी। बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां आवेदक के स्थान में कोई भौतिक परिवर्तन होता है या अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली का उपयोग करके इंटरचेंज की जाने वाली बिजली की मात्रा में दस (10) प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होता है, एक नया आवेदन किया जाएगा, जिस पर इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।
4.	आवेदन को संबंधित एसटीयू/डिस्कॉम को अग्रेषित करना।	T0+3 कार्य दिवस	आवेदन स्वीकार होने पर, उसे सिस्टम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एसटीयू/डिस्कॉम को भेज दिया जाएगा।
5.	एस.टी.यू./डिस्कॉम से सूचना।	T0+7 कार्य दिवस	ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, नोडल एजेंसी ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस लेनदेन के लिए वितरण लाइसेंसधारियों, एसएलडीसी, एसटीयू और अन्य एजेंसियों से सभी अनुमतियां और मंजूरी प्राप्त करेगी, जो आवश्यक हो सकती हैं। आवेदक को नोडल एजेंसी द्वारा मांगी गई अन्य कोई भी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली का उपयोग करके अदला-बदली की जाने वाली बिजली और विभिन्न संस्थाओं या

क्र.सं.	विवरण	समयसीमा	टिप्पणी
			क्षेत्रों से या उन्हें प्रेषित की जाने वाली बिजली के आंकलन का आधार शामिल होगा, ताकि नोडल एजेंसी अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली की व्यापक तरीके से योजना बना सके।
			यदि नेटवर्क में मार्जिन उपलब्ध है और आवश्यक बुनियादी ढांचे की भी उपलब्धता है तो एसटीयू/डिस्कॉम नोडल एजेंसी को अपने आवेदन की वैधता के बारे में सूचित करेगा।
			जीई-एलटीओए/जीई-एमटीओए के मामले में, यि मौजूदा अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली में सिस्टम सुदृढ़ीकरण/संवर्द्धन की आवश्यकता है, तो एसटीयू/डिस्कॉम आवेदक और नोडल एजेंसी को सिस्टम सुदृढ़ीकरण/संवर्द्धन के लिए शामिल कार्य के बारे में सूचित करेगा। ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर, आवेदक नोडल एजेंसी से सिस्टम सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक लागत और समय का अनुमान लगाने के उद्देश्य से आगे सिस्टम अध्ययन और प्रारंभिक जांच करने का अनुरोध कर सकता है:
			बशर्ते कि नोडल एजेंसी आवेदक से तीस (30) दिनों की पृष्टि के भीतर लागत अनुमान, संभावित पूर्णता अनुसूची और अनुमानित तिथि की जानकारी देगी, जिससे सिस्टम सुदृढ़ीकरण के बाद ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की अनुमति दी जाएगी:
			बशर्ते कि यदि आवेदक सिस्टम सुदृढीकरण के साथ ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का लाभ उठाने के लिए सहमत नहीं है, तो उसका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा और बैंक गारंटी लौटा दी जाएगी।
			आवेदक तदनुसार वृद्धि के लिए अनुमानित राशि नोडल एजेंसी को जमा करेगा।
			यदि प्रणाली सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता नहीं है, तो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान करने की संभावित तिथि उसी समय के भीतर नोडल

क्र.सं.	विवरण	समयसीमा	टिप्पणी
			एजेंसी को सूचित की जाएगी।
			यदि एस.टी.यू./डिस्कॉम से निर्धारित समय के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो नोडल एजेंसी इसे वैध आवेदन मान लेगी।
			बशर्ते कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले लाइसेंसधारी के उपभोक्ता के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निकासी बिंदु पर सिस्टम अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आवेदक यह वचनबद्धता प्रस्तुत करे कि, वह ओपन एक्सेस का विकल्प चुनने के बाद भी लाइसेंसधारी के साथ अपने आपूर्ति समझौते में निर्दिष्ट अनुबंध मांग से अधिक नहीं करेगा।
			बशर्ते कि कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के मामले में 100 किवा और उससे अधिक की अनुबंध मांग की सीमा ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का लाभ उठाने के लिए लागू नहीं होगी।
			नोडल एजेंसी निर्धारित समय के भीतर आवेदक को ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान करने के लिए आवेदन की वैधता के बारे में सूचित करेगी।
6.	नोडल एजेंसी द्वारा आवेदक को सूचना	T0 + 8 कार्य दिवस	यदि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान नहीं किया जा सकता है, तो नोडल एजेंसी द्वारा आवेदक को उपरोक्त समय के भीतर लिखित रूप में ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान न किए जाने के कारणों की सूचना दी जाएगी।
			यदि नोडल एजेंसी उपरोक्त निर्दिष्ट समय के भीतर ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस या अन्यथा की मंजूरी की सूचना देने में विफल रहती है, तो सिस्टम की उपलब्धता के अधीन, इसे मंजूरी दे दी गई मानी जाएगी।
	लॉन्ग-टर्म /मीडियम-टर्म ग्रीन		आवेदक को इन विनियमों में उल्लिखित विस्तृत प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार संबंधित लाइसेंसधारियों के साथ लॉन्ग-टर्म ओपन एक्सेस के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।
7.	एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए आवेदक द्वारा अनुबंध प्रस्तुत करना	T0 + 13 कार्य दिवस	इसके बाद, संबंधित प्राधिकारी आवेदक के साथ पांच दिनों के भीतर अनुबंध का निष्पादन सुनिश्चित करेगा और आवेदक को ऐसे निष्पादित अनुबंध की प्रति भी प्रदान करेगा।
			एसटीयू द्वारा ट्रांसमिशन अनुबंध और वितरण

क्र.सं.	विवरण	समयसीमा	टिप्पणी
			लाइसेंसी द्वारा व्हीलिंग अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा प्रत्येक मामले में पांच दिन होगी, जहां दोनों अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बाद, आवेदक ऐसे निष्पादित अनुबंधों की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षरित ट्रांसिमशन और/या व्हीलिंग अनुबंध की प्रति नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करेगा और नोडल एजेंसी रसीद/लाइसेंसधारी(ओं) की पावती प्रदान करेगी।
			ट्रांसिमशन और व्हीलिंग अनुबंध को मानक प्रारूप में निष्पादित किया जाना चाहिए जैसा कि मामला आयोग द्वारा अनुमोदित नोडल एजेंसी / लाइसेंसधारी द्वारा तैयार किया जा सकता है।
			यदि आवेदक निर्दिष्ट समय के भीतर ट्रांसमिशन और/या व्हीलिंग अनुबंध प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो प्रदान की गई ओपन एक्सेस को रद्द माना जाएगा।
			यदि एस.टी.यू./डिस्कॉम, आवेदक द्वारा प्रस्तुत ट्रांसिमशन और/या व्हीलिंग अनुबंध पर ऊपर निर्दिष्ट समय के भीतर हस्ताक्षर/जमा करने में विफल रहते हैं, तो ट्रांसिमशन और/या व्हीलिंग को स्वीकृत माना जाएगा।
8.	संबंधित एसटीयू/डिस्कॉम द्वारा अनुबंध की हस्ताक्षरित प्रतियां जमा करना	T0 + 15 कार्य दिवस	स्वीकृत माने जाने की स्थिति में, आयोग द्वारा अनुमोदित मानक अनुबंध के प्रावधान लागू एवं बाध्यकारी होंगे।
			तदनुसार, आवेदक को प्रभावी तिथि से ऊर्जा के ट्रांसिमशन और/या व्हीलिंग की अनुमित दी जाती है, बशर्ते कि वह हलफनामे पर अंडरटेकिंग' दाखिल करे कि वह ऊर्जा के ट्रांसिमशन और/या व्हीलिंग का लाभ उठाएगा और स्वीकृत समझौते के नियम और शर्तें उस पर बाध्यकारी होंगे।
9.	व्हीलिंग के लिए प्रभावी तिथि	यदि नोडल एजेंसी आवेदक से निष्पादित अनुबंध (अनुबंधों) / स्वीकृति के संबंध में शपथ पत्र पर	आवेदक को प्रभावी तिथि से ऊर्जा चक्रण की अनुमति दी जाती है।

क्र.सं.	विवरण	समयसीमा	टिप्पणी
		वचनबद्धता' की प्रति	
		प्राप्त करती है, जैसा भी	
		मामला हो, आवेदक की	
		ग्रीन एनर्जी ओपन	
		एक्सेस के प्रारंभ की	
		प्रभावी तिथि नोडल	
		एजेंसी को समझौते की	
		हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत	
		करने की तिथि से अगली	
		तिथि होगी।	

- (ग) नोडल एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि विनियमों के खंड 3.2 में निर्दिष्ट गैर-वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क का भगतान आवेदक द्वारा नोडल एजेंसी को किया जाएगा।
- (घ) लॉन्ग-टर्म और मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए आवेदन के साथ एलटी जीईओए के लिए पचास हजार रुपये (₹ 50,000) प्रति मेगावाट और एमटी जीईओए या उसके हिस्से के लिए दस हजार रुपये (₹ 10,000) प्रति मेगावाट की बैंक गारंटी संलग्न करनी होगी, जो प्रेषित की जाने वाली कुल बिजली के लिए होगी। बैंक गारंटी विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार प्रारूप में नोडल एजेंसी के पक्ष में होगी।
- (ङ) बैंक गारंटी को लॉन्ग-टर्म / मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के संचालन तक वैध रखा जाएगा।
- (च) जहां किसी भी कमी या दोष के लिए कोई आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, बैंक गारंटी आवेदक को वापस कर दी जाएगी और ऐसे मामलों में कमी या दोष को ठीक करने के बाद आवेदक द्वारा केंद्रीय नोडल पोर्टल पर एक नया आवेदन किया जाएगा।
- (छ) नोडल एजेंसी, लिखित आदेश द्वारा, 15 दिनों की अविध के भीतर ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए आवेदनों को मंजूरी देगी, ऐसा न करने पर इसे आयोग द्वारा निर्दिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन अनुमोदित माना जाएगा:
 - बशर्ते कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई का क्रम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा।
- (ज) लॉन्ग-टर्म / मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान करते समय, नोडल एजेंसी आवेदक को वह तारीख बताएगी, जिससे लॉन्ग-टर्म / मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान की जाएगी तथा आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रचलित लागतों, कीमतों और पारेषण प्रभारों के बंटवारे की पद्धति के आधार पर देय संभावित पारेषण प्रभारों का अनुमान बताएगी।
- (झ) लॉन्ग-टर्म / मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान किए जाने के तुरंत बाद, नोडल एजेंसी एसएलडीसी को सूचित करेगी ताकि इन विनियमों के अंतर्गत एसएलडीसी द्वारा प्राप्त मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस और शॉर्ट-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान किए जाने के अनुरोधों पर विचार करते समय इसे ध्यान में रखा जा सके।
- (ञ) यदि ट्रांसमिशन सिस्टम में बिना किसी वृद्धि के पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है, तो शॉर्ट-टर्म और मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की अनुमति दी जाएगी, जबकि लॉन्ग-टर्म ग्रीन ओपन एक्सेस के लिए, यदि आवश्यक हो तो ट्रांसमिशन सिस्टम को संवर्धित किया जा सकता है:
 - बशर्ते कि यदि अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो तो विद्यमान प्रणाली में लॉन्ग-टर्म को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके अतिरिक्त, जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ओपन एक्सेस की तुलना में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों के लिए ओपन एक्सेस को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (ट) लॉन्ग-टर्म / मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की अवधि समाप्त होने से पहले, ऐसे उपभोक्ता से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर नोडल एजेंसी द्वारा इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अनुरोध के साथ इन विनियमों के

अनुसार आवेदन शुल्क भी संलग्न किया जाना चाहिए:

बशर्ते कि ऐसा अनुरोध मौजूदा लॉन्ग-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के समाप्त होने की तिथि से कम से कम छह (6) महीने पहले और मौजूदा मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के समाप्त होने की तिथि से कम से कम एक (1) महीने पहले प्रस्तुत किया जाए। उपभोक्ता को आवेदन में स्पष्ट रूप से उस अवधि का उल्लेख करना होगा जिसके लिए विस्तार की आवश्यकता है।

11

बशर्ते कि यदि निर्दिष्ट समय के भीतर ओपन एक्सेस उपभोक्ता से कोई लिखित अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो उक्त लॉन्ग-टर्म / मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उस तिथि को 24:00 बजे स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, जिस तक इसे प्रारंभ में प्रदान किया गया था।

- (ठ) लॉन्ग-टर्म / मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की अवधि समाप्त होने के बाद, ओपन एक्सेस उपभोक्ता को अवधि के नवीकरण के लिए किसी भी अधिभावी वरीयता का हकदार नहीं होगा।
- (ड) लॉन्ग-टर्म / मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता, लॉन्ग-टर्म / मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की पूर्ण अवधि की समाप्ति से पहले, इन विनियमों के खंड 9.1 में दिए गए अनुसार नोडल एजेंसी को नोटिस देकर और क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करके, लॉन्ग-टर्म / मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के अधिकारों को पूर्णतः या आंशिक रूप से छोड़ सकता है।
- (ढ) ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो तथा ओपन एक्सेस को अस्वीकार करने वाले सभी आदेश आख्यापक आदेश होंगे।
- (ण) संबंधित राज्य नोडल एजेंसी के आदेश के विरुद्ध अपील, आदेश प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर आयोग के समक्ष की जा सकेगी।
- (त) आयोग तीन महीने की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा और उसके द्वारा जारी आदेश पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
- (थ) नोडल एजेंसी/वितरण लाइसेंसधारी, राज्य में ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के सुचारू कार्यान्वयन के लिए अधिनियम, नियम, विनियम, आदेश और केन्द्रीय नोडल एजेंसी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुरूप ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों, प्रारूपों आदि से युक्त ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए प्रक्रिया तैयार करेगा और आयोग से अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- (द) 12 टाइम-ब्लॉक के लिए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता ओपन एक्सेस के माध्यम से उपभोग की जाने वाली बिजली की मात्रा में बदलाव नहीं करेगा ताकि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा पूरी की जाने वाली मांग में उच्च भिन्नता से बचा जा सके।

बशर्ते कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्राप्त करने के लिए नियमों के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा तैयार किए गए प्रारूप और समयसीमा का पालन किया जाएगा।

बशर्ते कि शॉर्ट-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के मामले में स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर तथा लॉन्ग-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस और मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के मामले में राज्य पारेषण यूटिलिटीज़ (एसटीयू) केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नोडल एजेंसी के कर्तव्यों का पालन करेगी।

बशर्ते कि नोडल एजेंसी केंद्रीय नोडल एजेंसी के पोर्टल पर जनता के लिए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एसटीयू और वितरण लाइसेंसधारियों सहित पारेषण लाइसेंसधारियों के साथ समन्वय करेगी।

बशर्ते कि नोडल एजेंसी राज्य में ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के सुचारू कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों, विनियमों और प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुरूप ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों, प्रारूपों आदि से युक्त ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए प्रक्रिया तैयार करेगी और इसे आयोग से अनुमोदित करवाएगी।

3.7 (ख) डे अहेड ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस ट्रांजैक्शन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

- (क) आवेदक को मानक आवेदन प्रारूप में डे अहेड ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस ट्रांजेक्शन के लिए केंद्रीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
- (ख) नोडल एजेंसी द्वारा केंद्रीय नोडल एजेंसी से प्राप्त आवेदनों के लिए, दिन के 12:00 बजे से पहले डे अहेड ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस ट्रांजेक्शन के लिए शेड्यूलिंग के दिन से ठीक पहले नोडल एजेंसी सिस्टम में संकुलन की जांच करेगी,यह सुनिश्चित करने के बाद कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के तहत मांगी गई क्षमता के लिए कोई निर्वाह पीपीए नहीं है, और आवेदक को ई-मेल या फैक्स के माध्यम से अनुमोदन या अन्यथा प्रदान करने के बारे में सूचित करेगी, जो डे अहेड ट्रांजेक्शन के लिए शेड्यूलिंग के दिन से ठीक पहले दिन के 14:00 बजे के बाद नहीं होगी।
- (ग) प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए पांच हजार रुपए की गैर-वापसीयोग्य प्रसंस्करण फीस का भुगतान आवेदक द्वारा नोडल एजेंसी द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा, जैसे कि नोडल एजेंसी के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान का प्रमाण।

बशर्ते कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का वास्तविक संचालन, इन विनियमों और आयोग द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों में निर्दिष्ट प्रभारों का आवेदक द्वारा भुगतान किए जाने के अधीन होगा, जो कि अगले दिन के ट्रांजेक्शन के लिए समय-निर्धारण के दिन से ठीक पहले वाले दिन के 17:00 बजे से पहले होगा।

बशर्ते कि 12 टाइम-ब्लॉकों के लिए, उपभोक्ता ओपन एक्सेस के माध्यम से खपत की गई बिजली की मात्रा में बदलाव नहीं करेगा ताकि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा पूरी की जाने वाली मांग में उच्च भिन्नता से बचा जा सके।

- (घ) जहां ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस से इनकार किया जाता है, राज्य नोडल एजेंसी आवेदक को इसके कारण बताएगी।
- (ङ) शॉर्ट-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा आरक्षित क्षमता दूसरों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती।
- (च) एसएलडीसी द्वारा आरक्षित क्षमता के समर्पण, कटौती या निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप उपलब्ध क्षमता को इन विनियमों के अनुसार किसी अन्य शॉर्ट-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता के लिए आरक्षित किया जा सकता है।
- (छ) शॉर्ट-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की अवधि समाप्त होने पर, उपभोक्ता, उत्पादन स्टेशन या लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, अवधि के नवीनीकरण के लिए किसी प्राथमिकता का हकदार नहीं होगा।
- 24) निम्नलिखित परंतुक को मूल विनियमों के विनियम 3.9(2) के दूसरे परंतुक के बाद जोड़ा जाता है:

"बशर्ते कि "गैर-जीवाश्म ईंधन" स्रोतों के लिए ओपन एक्सेस को "जीवाश्म ईंधन" से ओपन एक्सेस की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।"

- 25) विनियम 3.10 में "ओपन एक्सेस" के बाद "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।
- 26) मूल विनियमों के अध्याय-4 का शीर्षक निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

"अध्याय 4: ओपन एक्सेस/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस शुल्क"

27) मूल विनियमों के विनियम 4.1 में संशोधन:

- I. विनियम 4.1(1) में, "लॉन्ग-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद "/लॉन्ग-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है, "मीडियम-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद "/मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है, "शॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद "/शॉर्ट-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है और "ओपन एक्सेस" के बाद "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।
- II. विनियम 4.1(3) में, "लॉन्ग-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद "/लॉन्ग-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है, "मीडियम-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद "/मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है और "शॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद "/शॉर्ट-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।

28) मूल विनियमों के विनियम 4.2 में संशोधन:

- विनियम 4.2(1) और इसके परंतुक में, "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता
 है, "/लॉन्ग-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "लॉन्ग-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है और "/
 मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "मीडियम-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है।
- II. विनियम 4.2(2) में, "ओपन एक्सेस" के बाद "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।
- III. विनियम 4.2(4) में, "/लॉन्ग-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "लॉन्ग-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है, "/मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "मीडियम-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है और "/शॉर्ट-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "शॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है।

29) मूल विनियमों के विनियम 4.3 में संशोधन:

- विनियम 4.3(1)(क) में, "लॉन्ग-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद "/लॉन्ग-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है और "मीडियम-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद "/मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।
- II. विनियम 4.3(1)(ख) में, "/शॉर्ट-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "शॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है।
- III. विनियम 4.3(2) में, "/लॉन्ग-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "लॉन्ग-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है, "/मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "मीडियम-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है और "/शॉर्ट-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "शॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है।

30) मूल विनियमों के विनियम 4.4 में संशोधन:

- विनियम 4.4(1) में, "ओपन एक्सेस" के बाद "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।
- II. विनियम 4.4(1) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाता है:

बशर्ते कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाले उत्पादन संयंत्र से ग्रीन एनर्जी खरीदने वाले ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता के लिए क्रॉस सब्सिडी अधिभार, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाले उत्पादन संयंत्र के प्रचालन की तिथि से बारह वर्षों के दौरान, उस वर्ष के लिए निर्धारित अधिभार के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा, जिसमें ओपन एक्सेस प्रदान की गई है।

बशर्ते कि गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित बिजली ओपन एक्सेस उपभोक्ता को आपूर्ति की जाने की स्थिति में क्रॉस सब्सिडी अधिभार लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि ऐसा क्रॉस-सब्सिडी अधिभार उस स्थिति में नहीं लगाया जाएगा, जब वितरण पहुंच ऐसे व्यक्ति को प्रदान की गई हो, जिसने अपने उपयोग के गंतव्य तक बिजली ले जाने के लिए कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया हो।

बशर्ते कि यदि ग्रीन एनर्जी का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है तो क्रॉस-सब्सिडी अधिभार लागू नहीं होगा।

III. विनियम 4.4(4) को हटा दिया जाता है।

31) मूल विनियमों के विनियम 4.5(7) के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाता है:

8. ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता पर ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की मात्रा के लिए अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा, यदि ऐसे ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा वितरण लाइसेंसधारी को लाइसेंसधारी के साथ अनुबंध मांग / स्वीकृत भार तक प्राप्त ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की मात्रा के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा रहा है:

बशर्ते कि यदि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा प्राप्त ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की मात्रा लाइसेंसधारी के साथ अनुबंधित मांग/स्वीकृत भार से अधिक है और अतिरिक्त मात्रा के लिए कोई निर्धारित प्रभार या मांग प्रभार का भुगतान नहीं किया जा रहा है या देय नहीं है, तो उस स्थिति में आयोग के टैरिफ आदेशों के अनुसार समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अधिभार अनुबंधित मांग/स्वीकृत भार पर प्राप्त ऐसी अतिरिक्त मात्रा के लिए लागू होगा।

आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसे अतिरिक्त अधिभार उस स्थिति में नहीं लगाए जाएंगे, जब डिस्ट्रिब्यूशन एक्सेस ऐसे व्यक्ति को प्रदान की गई हो, जिसने अपने उपयोग के गंतव्य तक बिजली ले जाने के लिए कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया हो।

बशर्ते कि अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित बिजली ग्रीन ओपन एक्सेस उपभोक्ता को आपूर्ति किए जाने पर अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।

इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि ओफशॉर विंड परियोजनाओं से उत्पादित बिजली के मामले में अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा, जो दिसंबर 2032 तक चालू हो जाती है और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है।

बशर्ते कि यदि ग्रीन एनर्जी का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है तो अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।

32) मूल विनियमों के विनियम 4.6 में संशोधन:

i. विनियम 4.6(1) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाता है:

बशर्ते कि स्टैंडबाय प्रभार लागू नहीं होंगे, यदि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं ने डी पर डे अहेड मार्केट के बंद होने के समय से कम से कम एक दिन पहले सूचना दे दी है - [माइनस] 1 दिन, 'डी' वितरण लाइसेंसधारी को स्टैंडबाय व्यवस्था के लिए बिजली की डिलीवरी का दिन है।

ii. विनियम 4.6(3) के प्रथम परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा:

बशर्ते कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता के लिए लागू स्टैंडबाय शुल्क उपभोक्ता टैरिफ श्रेणी पर लागू ऊर्जा शुल्क के 25% से अधिक नहीं होगा।

- 33) विनियम 4.7 में "ओपन एक्सेस" के बाद "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।
- 34) विनियम 4.9 का शीर्षक निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

"ओपन एक्सेस/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस शुल्क की प्रयोज्यता"

- 35) तालिका 6 का शीर्षक "शॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस/ शॉर्ट-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए शुल्क की प्रयोज्यता" के रूप में पढ़ा जाएगा।
- 36) तालिका 7 का शीर्षक "मीडियम-टर्म ओपन एक्सेस/ मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए शुल्क की प्रयोज्यता" के रूप में पढ़ा जाएगा।

- 37) तालिका 8 का शीर्षक "लॉन्ग-टर्म ओपन एक्सेस/ लॉन्ग-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए शुल्क की प्रयोज्यता" के रूप में पढ़ा जाएगा।
- 38) मूल विनियमों के विनियम 4.9 के बाद विनियम 4.10 को निम्नानुसार जोड़ा जाता है:
 - 4.10 ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए लगाए जाने वाले शुल्क:
 - ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले शुल्क निम्नानुसार होंगे, अर्थात::-
 - (क) ट्रांसमिशन शुल्क;
 - (ख) व्हीलिंग शुल्क;
 - (ग) क्रॉस सब्सिडी अधिभार;
 - (घ) जहां भी लागू हो, अतिरिक्त अधिभार;
 - (ङ) स्टैंडबाय शुल्क जहां भी लागू हो;
 - (च) रिएक्टिव ऊर्जा शुल्क जहां भी लागू हो;
 - (छ) बैंकिंग शुल्क जहां भी लागू हो; और
 - (ज) आयोग के प्रासंगिक विनियमों के अनुसार अन्य शुल्क और प्रभार जैसे लोड डिस्पैच सेंटर शुल्क और शेड्यूलिंग शुल्क, डेविएशन सेटलमेंट शुल्क।
- 39) विनियम 5.2 में "ओपन एक्सेस" के बाद "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।
- 40) विनियम 6.1(1), 6.1(2), 6.1(3), 6.1(6) और 6.1(10) में "ओपन एक्सेस" के बाद "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।
- 41) विनियम 6.2 में "/लॉन्ग-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "लॉन्ग-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है, "/मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "मीडियम-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है, "/शॉर्ट -टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "शॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है और "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है।
- 42) विनियम 6.2 में "/लॉन्ग-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "लॉन्ग-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है, "/मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "मीडियम-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है, "/शॉर्ट -टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "शॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है और "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है।
- 43) मूल विनियमों के "अध्याय 7क: ऊर्जा बैंकिंग" को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

"7 क.1 ऊर्जा की बैंकिंग के लिए नियम और शर्तें

- 1. वितरण लाइसेंसधारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बैंकिंग की व्यवस्था की अनुमित देगा, जो वितरण लाइसेंसधारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर अपने आपूर्ति क्षेत्र में ऐसी सुविधा का लाभ उठाने का इरादा रखते हैं:
 - बशर्ते कि ये विनियम संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नेट मीटरिंग पर आधारित सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) विनियम, 2019 और समय-समय पर इसके संशोधन के अंतर्गत आने वाले संयंत्रों पर लागू नहीं होंगे।
 - बशर्ते कि "ग्रीन एनर्जी " उत्पादन स्टेशन से ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता की अधिशेष ऊर्जा, उसके परिसर में खपत के बाद, वितरण लाइसेंसधारी के पास जमा की जाएगी।
- ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा अधिशेष ऊर्जा के इंजेक्शन और ऊर्जा की बैंकिंग निकासी सिहत बैंकिंग सुविधा समय-निर्धारण के अधीन होगी।
- 3. बैंकिंग की अनुमित मासिक/बिलिंग चक्र के आधार पर दी जाती है:

बशर्ते कि पीक टीओडी स्लॉट के दौरान संग्रहित ऊर्जा को ऑफ-पीक टीओडी स्लॉट के दौरान निकाला जा सकता है, लेकिन ऑफ-पीक टीओडी स्लॉट के दौरान संग्रहित ऊर्जा को पीक टीओडी स्लॉट के दौरान नहीं निकाला जाएगा।

- 4. बैंकिंग शुल्क, जमा की गई ऊर्जा के 8% की दर से वस्तु रूप में लागू होगा। बैंकिंग शुल्क, जमा की गई ऊर्जा के आहरण के समय लागू होगा।
- 5. ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्येक माह में बैंक ऊर्जा की अनुमत मात्रा ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा वितरण लाइसेंसधारी से बिजली की कुल मासिक खपत का अधिकतम तीस प्रतिशत (30%) तक होगी।

बशर्ते कि बैंक में जमा ऊर्जा के लिए क्रेडिट को आगामी महीनों/अगले बिलिंग चक्र में आगे ले जाने की अनुमित नहीं दी जाएगी तथा माह/बिलिंग चक्र के दौरान बैंक में जमा ऊर्जा के क्रेडिट को उसी माह/बिलिंग चक्र के दौरान समायोजित किया जाएगा।

बशर्ते कि अप्रयुक्त अधिशेष बैंक ऊर्जा को प्रत्येक बिलिंग चक्र के अंत में व्यपगत माना जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन व्यपगत बैंक ऊर्जा की सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा।

बशर्ते कि, पीक टीओडी स्लॉट के दौरान बैंक की गई ऊर्जा को इस विनियम में निर्दिष्ट बैंकिंग शुल्क का भुगतान करके पीक और ऑफ-पीक टीओडी स्लॉट के दौरान निकालने की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, ऑफ-पीक टीओडी स्लॉट के दौरान बैंक की गई ऊर्जा को केवल ऑफ-पीक टीओडी स्लॉट के दौरान ही निकालने की अनुमति होगी।

बशर्ते यह भी कि बैंक की गई ऊर्जा की निकासी की अनुमित केवल उसी महीने के दौरान दी जाएगी जिसमें ऊर्जा को बैंक किया गया है।

- 6. ओपन एक्सेस कंज्यूमर/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी और/या ट्रांसिमशन लाइसेंसी व्हीलिंग, ट्रांसिमशन और बैंकिंग समझौता (डब्ल्यूटीबीए) हस्ताक्षर करेंगे। व्हीलिंग, ट्रांसिमशन और बैंकिंग समझौते का प्रारूप अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।
- 7. ओपन एक्सेस उपभोक्ता/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता और वितरण लाइसेंसधारी कनेक्टिविटी प्रदान करने पर एक कनेक्शन समझौता करेंगे। कनेक्शन समझौते का प्रारूप अनुलग्नक-॥ के रूप में संलग्न है। बशर्ते कि ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी और ओपन एक्सेस उपभोक्ता/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता के बीच कनेक्शन समझौता, जैसा भी मामला हो, एसटीय द्वारा जारी किया जाएगा।

"7 क.2 बैंकिंग का वाणिज्यिक निपटान

- 1. प्रत्येक बिलिंग अविध के लिए, वितरण लाइसेंसधारी बिलिंग अविध में अंतःक्षेपित बिजली की मात्रा, बिलिंग अविध में ऐसे उत्पादन स्टेशन से ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा निकाली गई बिजली की मात्रा तथा प्रत्येक माह के अंत में उस बिलिंग अविध के लिए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा भगतान के लिए अर्हता प्राप्त शुद्ध बिजली को अलग-अलग दर्शाएगा।
- 2. यदि बिलिंग अवधि के दौरान इंजेक्ट की गई बिजली, निकाली गई बिजली से अधिक है, तो ऐसी अतिरिक्त इंजेक्ट की गई बिजली प्रत्येक माह के अंत में समाप्त मानी जाएगी और माह के अंत में ऐसी ऊर्जा पर कोई मुआवजा लागू नहीं होगा।
- 3. यदि निकाली गई बिजली नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन स्टेशन द्वारा इंजेक्ट की गई बिजली से अधिक है, तो वितरण लाइसेंसधारी बैंकिंग शुल्क को ध्यान में रखते हुए उचित टैरिफ/प्रभार पर ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा निकाली गई शुद्ध बिजली के लिए चालान जारी करेगा।

- 44) विनियम 8 में "ओपन एक्सेस" के बाद "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" जोड़ा जाता है।
- 45) विनियम 9 में "/लॉन्ग-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "लॉन्ग-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है, "/मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "मीडियम-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है, "/शॉर्ट -टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "शॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है और "/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" को "ओपन एक्सेस" के बाद जोड़ा जाता है।
- 46) मूल विनियमों के विनियम 9.4(1) के तीसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाता है:

"बशर्ते यह भी कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की कटौती "जीवाश्म ईंधन" से ओपन एक्सेस के बाद होगी। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस कटौती की प्राथमिकता पहले शॉर्ट -टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस, उसके बाद मीडियम-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस और अगली लॉन्ग-टर्म ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस होगी।

बशर्ते कि एक श्रेणी के भीतर, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को समान कटौती प्राथमिकता दी जाएगी और आनुपातिक आधार पर कटौती की जाएगी।

आयोग के आदेशानुसार,

एस.डी.शर्मा, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./506/2024-25]

अनुलग्नक I – मॉडल चक्रण, पारेषण और बैंकिंग अनुबंध

भाग I – चक्रण और पारेषण के बीच समझौता

[वितरण लाइसेंसधारी का नाम दर्ज करें] [प्रथम भाग के पक्ष के रूप में संदर्भित] और

[एलटीसी/एमटीसी* का नाम दर्ज करें] [द्वितीय भाग के पक्ष के रूप में संदर्भित] और

[पारेषण लाइसेंसधारी का नाम दर्ज करें] [तृतीय भाग के पक्ष के रूप में संदर्भित]

- समझौते से संबंधित पक्ष:

- 1. वितरण लाइसेंसधारी बीपीडब्ल्यूए के मामले में बैंकिंग अनुबंध के साथ या उसके बिना
- 2. एलटीसी / एमटीसी सभी अनुबंधों में दीर्घकालिक/मध्यम अवधि के ग्राहक
- 3. पारेषण लाइसेंसधारी बीपीटीए के मामले में बैंकिंग अनुबंध के साथ या उसके बिना

*अनुबंध में जो भी लागू न हो उसे काट दें। यदि एलटीसी/एमटीसी वितरण लाइसेंसधारी हैं, तो समझौते में इंटर-कनेक्शन, उपक्रम, व्हीलिंग ऑफ एनर्जी पर खंडों की व्याख्या तदनुसार की जाएगी।

यह	्पारेष	प्रण अनुबं	ध / चक्रण अ	नुबंध (जैसा	लागू हो)		. [दिन द	र्ज करें] दि	न	[मही [,]	ना दर्ज करें]
दो	हजार		को द	र्ज किया गर	ग्रा है। [व <u>ा</u>	र्घ दर्ज करें]	[वितरण	लाइसेंसध	धारी / बि	जली विभाग व	का नाम दर्ज
करें], ज	ो कंपनी	अधिनियम	, 1956 वे	तहत	निगमित	एक कं	पनी है,	जिसका	पंजीकृत/मुख्य	नार्यालय
			पर	है (इसके ब	ाद "	" व	हा जाए	गा, जिसम्	गं अभिव्य	क्ति में, जब त	क कि संदर्भ
या	अर्थ वे	के प्रतिकूर	ग न हो, इसक <u>े</u>	उत्तराधिका	री और ३	प्रसाइन कि	ए गए श	ामिल होंगे	ा), प्रथम	भाग के पक्ष के	रूप में और

[दूसरे भाग के पक्ष के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दर्ज करें]

शुल्क (जो लागू हो सकते हैं) का भुगतान करना।

जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियमों में दिए गए अनुसार व्हीलिंग चार्ज, सरचार्ज और अतिरिक्त सरचार्ज और अन्य

और जबिक दूसरे भाग का पक्षकार वितरण लाइसेंसधारी है, जिसने उत्पादन कंपनी(यों) या लाइसेंसधारी(यों) से बिजली की खरीद और/या राज्य के अंदर और/या बाहर स्थित लाइसेंसधारी(यों) को दीर्घ/मध्यम अविध के आधार पर बिजली की बिक्री के लिए अनुबंध किए हैं, जैसा कि अनुलग्नक 'क' में निर्दिष्ट है; [...यदि एलटीसी/एमटीसी लाइसेंसधारी है]

या

और जबिक दूसरे भाग का पक्ष एक उत्पादन कंपनी है, जिसने अनुलग्नक 'क' में निर्दिष्ट अनुसार लंबी/मध्यम अविध के आधार पर राज्य के भीतर और/या बाहर स्थित लाइसेंसधारक(ओं) और/या उपभोक्ता(ओं) को बिजली की बिक्री के लिए अनुबंध किए हैं; [...यदि एलटीसी/एमटीसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन सहित एक उत्पादन कंपनी है]

या

और जबिक दूसरे भाग का पक्ष एक उत्पादन कंपनी है जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत 'कैप्टिव उत्पादन संयंत्र' के रूप में योग्य संयंत्र का संचालन कर रही है या करेगी और अपने कैप्टिव उत्पादन संयंत्र से उपयोग के गंतव्य(गंतव्यों) तक बिजली ले जाने के लिए इच्छुक है............. [गंतव्य दर्ज करें] और/या राज्य के भीतर और/या बाहर और/या राज्य के बाहर स्थित लाइसेंसधारक(ओं)/उपभोक्ता(ओं) [यदि लागू हो तो दर्ज करें] को अनुलग्नक 'क' में निर्दिष्ट अनुसार दीर्घ/मध्यम अवधि के आधार पर बिजली बेचने की योजना है; [...यदि एलटीसी/एमटीसी एक उत्पादन कंपनी है जो कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के रूप में काम कर रही है]

या

और जबिक दूसरे भाग का पक्ष एक उपभोक्ता है, जिसे समय-समय पर संशोधित जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियमों के प्रावधानों के तहत ओपन एक्सेस/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्राप्त करने की अनुमित है, जिसने अनुलग्नक क में निर्दिष्ट दीर्घ/मध्यम अविध के आधार पर राज्य के भीतर और/या बाहर स्थित उत्पादक कंपनियों या लाइसेंसधारकों से बिजली की खरीद के लिए अनुबंध किए हैं; [...यदि उपभोक्ता को एलटीसी/एमटीसी के रूप में अनुमित दी गई हैं]

और जबिक तीसरे भाग का पक्ष एक पारेषण लाइसेंसधारी है जो अपने लाइसेंस के अनुसार गोवा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र (जैसा लागू हो) में पारेषण प्रणाली का स्वामित्व और संचालन करता है, और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 40 (ग) के प्रावधानों के तहत और समय-समय पर संशोधित जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियम, 2017 के अनुसार गैर-भेदभावपूर्ण ओपन एक्सेस प्रदान करने के लिए एक वैधानिक दायित्व के अधीन है;

और जबिक एलटीसी/एमटीसी द्वारा हस्ताक्षरित बिजली की खरीद और/या बिक्री के लिए अनुबंध में उसके और निर्दिष्ट विक्रेता(ओं) या खरीदार(ओं) के बीच व्यक्तिगत रूप से किलोवाट/मेगावाट तक ऊर्जा के आदान-प्रदान की आवश्यकता होती है (जो भी लागू न हो उसे काट दें), जैसा भी मामला हो, पहले पक्ष के वितरण प्रणाली के साथ इंटरफेस किए गए इंजेक्शन और निकासी के निर्दिष्ट बिंदु(ओं) पर बिजली की एक निश्चित या बदलती मात्रा (किलोवाट/मेगावाट) के लिए या तीसरे पक्ष के पारेषण प्रणाली के साथ इंटरफेस किया गया है;

और जबिक एलटीसी/एमटीसी समय-समय पर संशोधित जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियमों के अनुसार, जैसा कि अनुलग्नक 'क' में विस्तृत रूप से बताया गया है, बिजली के चक्रण के लिए प्रथम भाग के पक्ष की वितरण प्रणाली और/या इंजेक्शन और निकासी के बिंदु(ओं) के बीच बिजली के पारेषण के लिए तृतीय भाग के पक्ष की पारेषण प्रणाली के लिए दीर्घकालिक/मध्यम अविध की ओपन एक्सेस/ ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का लाभ उठाने की इच्छुक है;

और जबिक एलटीसी/एमटीसी और प्रथम पक्ष की पार्टी और/या तीसरे पक्ष की पार्टी ने जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियमों में एसटीयू द्वारा निर्धारित ऐसे दायित्वों, कर्तव्यों, समय सारिणी, निर्देशों या किसी अन्य निर्देशों का पालन करने के लिए सहमति व्यक्त की है;

और जबिक प्रथम भाग का पक्ष और/या तृतीय भाग का पक्ष, अनुबंध-क में दिए गए विवरण के अनुसार, उसके द्वारा निर्मित, अनुरक्षित और प्रचालित तथा समय-समय पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों और नियमों के तहत सुदृढ़ीकृत वितरण और/या पारेषण प्रणाली के माध्यम से, अंतःक्षेपण बिंदु(बिंदुओं) से आहरण बिंदु(बिंदुओं) तक बिजली के चक्रण और/या पारेषण का कार्य करने के लिए सहमत हो गया है;

और जबिक एलटीसी/एमटीसी ने इंजेक्शन और निकासी के बिंदु पर एबीटी संगत मीटर की स्थापना का अनुपालन करने और एसटीयू द्वारा अनिवार्य संचार की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है; और जबिक एलटीसी/एमटीसी ने जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है:

और जबिक एलटीसी/एमटीसी ने दीर्घ/मध्यम अविध ओपन एक्सेस/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस करने से पहले या बाद में किसी भी उपकरण के माध्यम से प्रथम भाग के पक्ष और/या तृतीय भाग के पक्ष द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की है;

और जबिक प्रथम भाग के पक्ष और/या तीसरे भाग के पक्ष और चौथे भाग के पक्ष ने अपने दिनांकित पत्रों के अनुसार चक्रण और/या पारेषण और बैंकिंग [केवल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों (आरई आधारित कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों सिहत) के मामले में बैंकिंग] के लिए इस अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन अपनी सहमित दे दी है।

अतः अब पूर्वोक्त परिसर और आपसी अनुबंधों, वाचाओं और यहां निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम भाग के पक्ष और/या तीसरे भाग के पक्ष और चौथे भाग के पक्ष (बैंकिंग के मामले में) और एलटीसी/एमटीसी, यानी दूसरे भाग के पक्ष निम्नानुसार सहमत है:-

परिभाषाएँ

इस अनुबंध में प्रयुक्त किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम, जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियम 2017 (समय-समय पर संशोधित), जेईआरसी ग्रिड कोड, जेईआरसी विद्युत आपूर्ति कोड या किसी अन्य जेईआरसी विनियमों में परिभाषित किया गया है।

इंटर-कनेक्शन

क. 1. एलटीसी/एमटीसी को जेईआरसी ओपन एक्सेस रेगुलेशन के प्रावधानों के तहत कनेक्टिविटी समझौते के अनुसार पारेषण /वितरण लाइसेंसी के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। यदि उपरोक्त विनियमन किसी विशेष वोल्टता स्तर के लिए

कनेक्टिविटी मानकों को निर्दिष्ट नहीं करते हैं, तो यह जेईआरसी ग्रिड कोड, जेईआरसी बिजली आपूर्ति कोड या किसी अन्य लागू जेईआरसी विनियमन या सीईए मानकों के अनुसार होगा।

- 2. बिजली का आदान-प्रदान जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियमनों के प्रावधानों के तहत कनेक्टिविटी समझौते के अनुसार किया जाएगा, जिसका विवरण अनुलग्नक क में निर्दिष्ट किया जाना है। इंजेक्शन बिंदु तक और उसके बाद निकासी बिंदु तक प्रणाली का संचालन और रखरखाव एलटीसी/एमटीसी द्वारा किया जाएगा।
- 3. एलटीसी/एमटीसी अपने स्वयं के उपकरणों के साथ-साथ पारेषण/वितरण लाइसेंसधारी के उपकरणों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपकरण, जैसे सुरक्षा प्रणाली, संचार प्रणाली या इसी तरह के उपकरण, अपनी लागत पर स्थापित करेगा। एलटीसी/एमटीसी ऐसे उपकरणों की विशिष्टताओं के लिए पारेषण/वितरण लाइसेंसधारी से अनुमोदन प्राप्त करेगा और आवश्यकतानुसार पारेषण / वितरण लाइसेंसधारी को परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- 4. एलटीसी/एमटीसी को चक्रण और/या बैंकिंग और/या पारेषण शुरू करने से पहले और उसके बाद हर साल पारेषण / वितरण लाइसेंसधारी से अपनी सुविधाओं और/या उपकरणों का निरीक्षण करवाना होगा। इसके अलावा, एलटीसी / एमटीसी को निम्नलिखित अनुमोदन प्राप्त करने होंगे:
 - क) विद्युत सुरक्षा के प्रयोजन हेतु विद्युत निरीक्षणालय का अनुमोदन;
 - ख) पारेषण /वितरण लाइसेंसधारी से सिंक्रोनाइजेशन अनुमोदन;
 - ग) चक्रण और / या बैंकिंग और/ या इंजेक्टेड ऊर्जा के पारेषण के लिए लिखित अनुमोदन/सहमति, सिंक्रोनाइजेशन से पहले जेईआरसी ओपन एक्सेस रेगुलेशन, 2017 और उसके संशोधनों के अनुसार होगी:

बशर्ते कि यदि अनुमोदन/सहमति उपरोक्त प्रावधानों की निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नहीं दी जाती है, तो इसे अनुमोदित माना जाएगा;

- 5. एलटीसी/एमटीसी यह सुनिश्चित करेगा कि मीटरिंग और सुरक्षा सुविधा संबंधित पारेषण / वितरण लाइसेंसी के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के लिए सूचना दिए जाने पर खुली रहे;
- 6. एलटीसी / एमटीसी वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पहले एसटीयू / पारेषण लाइसेंसी / वितरण लाइसेंसी को कम से कम पंद्रह दिन पहले लिखित सूचना देगा, जहां कोई प्रणाली सुदृढ़ीकरण शामिल नहीं है। हालांकि, यदि सिस्टम को मजबूत करना शामिल है, तो समयसीमा जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियम, 2017 और इसके संशोधनों के अनुसार होगी। इसकी सूचना संबंधित एसएलडीसी को लिखित रूप में भी दी जाएगी;
- 7. पारेषण /वितरण लाइसेंसधारी, इंजेक्शन बिंदु से पहले या निकासी बिंदु के बाद किसी भी लाइन आउटेज के परिणामस्वरूप होने वाली हानि या क्षति, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वह किसी भी कारण से हो, जिसके कारण बिजली की निकासी नहीं हो पाती है।

ख.दायित्व

/एलटीसी का नामा / /एमटीसी का नामा के दायित्व:

- i. एलटीसी/एमटीसी के पास हर समय वैधानिक अनुमोदन, मंजूरी और परिमट होंगे जैसा कि इस समझौते के अनुबंध-ख में निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, एलटीसी/एमटीसी अधिनियम, जेईआरसी राज्य ग्रिड कोड, विद्युत आपूर्ति कोड और विवेकपूर्ण उपयोगिता प्रथाओं का पालन करने वाले अन्य लागू विनियमों, नियमों, संहिताओं और मानकों के अनुसार अपनी स्वयं की प्रणाली की स्थापना, संचालन और रखरखाव करने का वचन देगा
- ii. एलटीसी/एमटीसी जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियम, 2017 और इसके संशोधनों तथा अन्य लागू जेईआरसी विनियमों के अनुसार सभी लागू शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- iii. एलटीसी/एमटीसी समय-समय पर सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए गए किसी भी लागू कर, उपकर, शुल्क या लेवी का भुगतान करेगा।
- iv. एलटीसी/एमटीसी, आवश्यकता पड़ने पर, ट्रांसमिशन/वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किए गए सिस्टम अध्ययन के लिए आवश्यक कोई भी डेटा प्रस्तुत करेगा।
- v. एलटीसी/एमटीसी साख पत्र जारी करेगा और जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियम, 2017 और उसके संशोधनों के

अनुसार बिलों का भुगतान करेगा।

vi. एलटीसी/एमटीसी राज्य / क्षेत्र भार प्रेषण केंद्र के अनुदेशों / निर्देशों का पालन करेगा।

3. पारेषण/वितरण लाइसेंसी के दायित्व

[पारेषण लाइसेंसी का नाम] / [वितरण लाइसेंसी का नाम]:

- ं. जेईआरसी राज्य ग्रिड कोड, जेईआरसी विद्युत आपूर्ति कोड और अन्य लागू जेईआरसी विनियमों, नियमों, संहिताओं और मानकों का पालन करना।
- ii. अपनी पारेषण / वितरण प्रणाली का स्वामित्व, परिचालन और रखरखाव करेगा तथा अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कुशल, समन्वित और किफायती पारेषण/वितरण प्रणाली प्रदान करने के लिए समय-समय पर अतिरिक्त पारेषण/वितरण प्रणाली विकसित करेगा। ऐसी प्रणाली का उपयोग एलटीसी/एमटीसी द्वारा अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के साथ समन्वय में भी किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, अनुबंधित क्षमता के हस्तांतरण के लिए निर्दिष्ट इंजेक्शन और निकासी बिंदु के बीच ओपन एक्सेस के तहत, जैसा कि अनुबंध 'क' में विस्तृत है।
- iii. बिजली की विश्वसनीयता प्रदान करने का प्रयास करेगा, सिवाय उन घटनाओं अथवा स्थितियों के जो इसके नियंत्रण से परे हैं जिनके लिए वितरण/पारेषण लाइसेंसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा
 - और एलटीसी/एमटीसी वितरण/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को तदनुसार क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत है।
- iv. को अपने वितरण/पारेषण प्रणाली में स्थापित किसी भी उपकरण को आसन्न क्षित से बचाने के लिए उपाय करने का अधिकार होगा और एलटीसी/एमटीसी वितरण/पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा उठाए गए ऐसे उपायों के कारण आपूर्ति में कटौती, यदि कोई हो, के लिए सहमत होगा। हालाँकि, वितरण/ पारेषण लाइसेंसधारी ऐसी घटना के बारे में एलटीसी/एमटीसी को सूचित करने के लिए सहमत है, यदि योजना बनाई गई है तो पहले से, अन्यथा आपातकालीन स्थिति में घटना के बाद। वितरण/ पारेषण लाइसेंसधारी भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने या टालने के लिए उपचारात्मक उपाय करना सुनिश्चित करेगा।
- v. पारेषण /वितरण लाइसेंसधारी ग्रिड के सुरक्षित संचालन के कारणों को छोड़कर एलटीसी/एमटीसी के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा।
- vi. पारेषण /वितरण लाइसेंसधारी ग्रिड के समानांतर संचालन के परिणामस्वरूप एलटीसी/एमटीसी की किसी भी प्रणाली को हुई किसी भी क्षति के लिए कोई मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ग. मीटरिंग

- मीटरों की स्थापना, आवधिक परीक्षण, अंशांकन, रखरखाव, जांच और अन्य संबंधित पहलुओं (मुख्य और चेक मीटर दोनों के लिए) को जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियम, 2017 और जेईआरसी ग्रिड कोड में निर्दिष्ट प्रावधानों के साथ संशोधन के अनुसार किया जाएगा।
- 3. यदि मीटरिंग क्यूबिकल या ऊर्जा मीटरों में किसी छेड़छाड़ का पता चलता है या इंजेक्शन अथवा निकासी स्थलों पर देखा जाता है तो पारेषण/वितरण लाइसेंसी को एलटीसी/एमटीसी की चक्रण सुविधाओं और/अथवा बैंकिंग सुविधा को वापस लेने का अधिकार होगा बशर्ते कि चूककर्ता संस्था को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 30 दिन की नोटिस अविध दी जाए। पारेषण / वितरण लाइसेंसी चक्रण और/अथवा बैंकिंग सुविधा को वापस लेने के कारणों को लिखित में देगा।

घ.ऊर्जा का चक्रण:

2. चूंकि ओपन एक्सेस/ ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की मंजूरी बीपीटीए / बीपीडब्ल्यूए पर हस्ताक्षर करने से पहले दी जाती है, तदनुसार बिजली की मात्रा के साथ-साथ विनिमय करने वाले पक्षों के साथ लेन-देन को बीपीटीए पर हस्ताक्षर करते समय मंजूरी दी जाती है। उपभोक्ताओं की सूची में किसी प्रकार की वृद्धि या विलोपन को पारेषण/वितरण लाइसेंसी द्वारा अनुमोदित माना जाएगा बशर्ते हस्तांतरित विद्युत क्षमता पहले की विद्युत मात्रा के भीतर हो। उपभोक्ताओं को इस प्रकार जोड़ने या हटाने के लिए किसी अनुपूरक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी।

- 3. जेईआरसी विनियमों/आदेशों के अधीन, चक्रण के तहत उत्पादन सुविधा द्वारा अंतःक्षेपित ऊर्जा का शुल्क सबसे पहले एलटीसी/एमटीसी और/या उसके ग्राहकों की खपत पर लगाया जाएगा। निपटान अवधि के अंत में अविशष्ट ऊर्जा को उस पारेषण/वितरण लाइसेंसी द्वारा खरीदा गया माना जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में परियोजना स्थित है और ऐसे पारेषण/वितरण लाइसेंसी द्वारा भुगतान किया जाता है, जो जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियम, 2017 के प्रावधानों और उसके संशोधनों के अधीन है।
- 4. प्रणाली की बाधाओं की स्थिति में, लागू जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियम, 2017 में निर्धारित शर्तों का पालन किया जाएगा।
- 5. पारेषण/वितरण लाइसेंसधारी इस अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन या अप्रत्याशित परिस्थितियों के तहत चक्रण और/या बैंकिंग की सुविधा को पूर्णतः या आंशिक रूप से वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस अनुबंध की शर्तों के किसी उल्लंघन के सिद्ध होने की स्थिति में, पारेषण लाइसेंसी/वितरण लाइसेंसी 30 दिनों की क्योरिंग अविध प्रदान करेगा। यदि पक्ष उल्लंघन का समाधान कर लेती है तो चक्रण और/या बैंकिंग बहाल कर दी जाएगी अन्यथा इसे वापस ले लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, पारेषण/वितरण लाइसेंसधारी एलटीसी/एमटीसी को किसी भी मुआवजे या क्षति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ङ. ऊर्जा लेखा

- एसटीयू/वितरण लाइसेंसधारी या उत्पादन स्टेशन द्वारा बनाए गए डाटाबेस के अनुसार दर्ज मीटर डेटा बिलिंग का आधार बनेगा और एलटीसी/एमटीसी पर बाध्यकारी होगा।
- 3. यह उत्पादक कंपनी या एसटीयू/वितरण लाइसेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह मीटर्ड डेटा रिकॉर्ड करे, ऊर्जा लेखा और ऑडिट मीटरों से जुड़ी सभी सूचनाओं का डेटाबेस बनाए रखे और मीटर किए गए डेटा डेटा की सटीकता को सत्यापित करे। प्रत्येक उत्पादन कंपनी या एसटीयू को जेईआरसी राज्य ग्रिड कोड, जेईआरसी आपूर्ति कोड और अन्य लागू जेईआरसी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कुशल संचालन और प्रणाली विकास के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु अपनी प्रणाली के लिए त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक ऊर्जा लेखा तैयार करना होगा।

च.प्रभार

- ओपन एक्सेस/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के प्रयोजन के लिए, प्रभार जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियम,
 2017 और इसके संशोधनों, या आयोग के अन्य लागू विनियमों और आदेशों के अनुसार होंगे।.
- 3. तथापि, उत्पादन सुविधा को स्टार्ट-अप, रखरखाव और अन्य संबद्ध उद्देश्यों के लिए ग्रिड से बिजली आयात करने की अनुमति होगी, जिसमें उस अविध की विधिवत सूचना दी जाएगी जिसके लिए ऐसी आपूर्ति की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में, ग्रिड से ली गई वास्तविक ऊर्जा, जैसा कि आयात मीटर द्वारा दर्ज किया गया है, आयोग के टैरिफ आदेश में प्रदान की गई लागू दर अनुसूची के अनुसार प्रभारित की जाएगी।
- 4. सिंक्रोनाइजेशन के बाद परीक्षण संचालन की तारीख से लेकर वाणिज्यिक संचालन की तारीख तक की अवधि के दौरान इंजेक्ट की गई अशक्त ऊर्जा को उस पारेषण/वितरण लाइसेंसधारी को बेचा गया माना जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में परियोजना स्थित है और ऐसे पारेषण /वितरण लाइसेंसधारी द्वारा जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियम, 2017 और उसके संशोधनों में निर्दिष्ट दर पर इसका भुगतान किया जाएगा।
- 5. चक्रण और/या पारेषण में ऊर्जा की हानि की गणना आयोग द्वारा समय-समय पर अपने टैरिफ आदेश में निर्धारित हानि स्तरों के अनुसार की जाएगी।

छ. बिलिंग एवं भुगतान

- 2. ऊर्जा लेखा तैयार करना, बिलिंग करना और एलटीसी/एमटीसी/वितरण लाइसेंसी द्वारा भुगतान जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियम, 2017 और इसके संशोधनों और अन्य लागू जेईआरसी विनियमों के अनुसार किया जाएगा।
- 3. एलटीसी/एमटीसी/वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिलों का भुगतान पूर्ण रूप से किया जाएगा, भले ही कोई त्रुटि प्रतीत हो और विवादित राशि का निपटारा नीचे दिए गए खंड 3 के अनुसार किया जाएगा।
- 4. विवाद की स्थिति में, एलटीसी/एमटीसी को बिल प्रस्तुत करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर निम्नलिखित

विवरण देते हुए एसटीयू/वितरण लाइसेंसधारी/ पारेषण लाइसेंसधारी के पास लिखित आपत्ति दर्ज करानी होगी।:

- i) विवादित मदें, पूर्ण विवरण/डेटा और विवाद के कारणों के साथ, और
- ii) प्रत्येक मद के विरूद्ध विवादित राशि।

एसटीयू/वितरण लाइसेंसधारी/ पारेषण लाइसेंसधारी एलटीसी/एमटीसी के साथ उपरोक्त विवाद को 30 (तीस) दिनों के भीतर सुलझाएंगे।

विवाद समाधान की उक्त अवधि के दौरान बिलों की विवादित राशि पर कोई अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।

ज. पंचाट

- दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं िक वे इस विषय में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को शीघ्रतापूर्वक, न्यायसंगत रूप से तथा सद्भावनापूर्वक हल करने का प्रयास करेंगे।
- इस समझौते से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच सभी विवाद या मतभेद, जहां तक संभव हो, आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाए जाएंगे।
- प्रत्येक पक्ष लिखित रूप में अपना प्रतिनिधि नामित करेगा तथा दूसरे पक्ष को सूचित करेगा, जो इस समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को हल करने के लिए अधिकृत होगा।
- 5. यदि नामित प्रतिनिधि इस समझौते के तहत किसी विवाद को उत्पन्न होने के तीस (30) दिनों के भीतर हल करने में असमर्थ हैं, तो पक्षकार इसे निर्णय के लिए जेईआरसी को भेजेंगे।
- 6. किसी भी विवाद और मतभेद की उपस्थिति के बावजूद, पक्षकार इस समझौते के तहत और/या विवाद के दौरान कार्यवाही में आयोग द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार अपने-अपने दायित्वों का पालन करना जारी रखेंगे।

झ. अप्रत्याशित घटना

2. युद्ध, दंगा, भूकंप, तूफान, हड़ताल, आंधी, मशीनरी की दुर्घटना जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण बिजली के चक्रण पर असर पड़ने की स्थिति में, पारेषण/वितरण लाइसेंसधारी का इस अनुबंध के अनुसार ऊर्जा को चक्रित करने और/या बैंक में रखने का कोई दायित्व नहीं होगा। हालांकि, उन्हें 30 (तीस) दिनों के भीतर सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी उचित प्रयास करने होंगे और यदि ऐसा संभव नहीं है, तो इस अनुबंध को उस अविध के लिए अस्थायी रूप से निलंबित माना जाएगा, जिसमें पूर्वोक्त 30 दिन भी शामिल हैं, जिसमें अप्रत्याशित परिस्थितियां जारी रहती हैं।

उस अवधि के दौरान जब अप्रत्याशित परिस्थितियां विद्यमान रहती हैं, पारेषण/वितरण लाइसेंसी किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि के लिए किसी भी मुआवजे या क्षति या किसी भी दावे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो एलटीसी/एमटीसी को उस अवधि के दौरान बिजली के चक्रण/बैंकिंग के कारण हो सकता है।

ञ. अनुबंध का कार्यान्वयन

इन प्रस्तावों के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले सभी विवेकाधिकार और दिए जाने वाले निर्देश, अनुमोदन, सहमित और सूचनाएं तथा की जाने वाली कार्रवाइयां, जब तक कि इसमें अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो, इस अनुबंध के हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा या प्रत्येक पक्ष द्वारा इस संबंध में नामित किए गए अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रयोग की जाएंगी और पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित रूप में सूचित की जाएंगी। प्राधिकृत प्रतिनिधियों के किसी अन्य नामांकन और/या पदनाम में परिवर्तन की सूचना इसी प्रकार एलटीसी/एमटीसी को/उसके द्वारा, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के एक माह के भीतर लिखित रूप में दी जाएगी। किसी भी नामांकन के बावजूद, निदेशक (......) [वितरण लाइसेंसी का नाम] और/या [पारेषण लाइसेंसी का नाम] या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को [वितरण लाइसेंसी का नाम] और/या [पारेषण लाइसेंसी का नाम] के लिए और उसकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। पदनाम/पंजीकृत कार्यालय के पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना सभी संबंधित पक्षों को लिखित रूप में दी जाएगी।

ट. सूचना

इस अनुबंध द्वारा अपेक्षित या अधिकृत कोई भी सूचना, संचार, मांग, या अनुरोध लिखित रूप में होगा और प्राप्ति की तिथि पर उचित रूप से दिया गया माना जाएगा, यदि हाथ से वितरित किया जाता है या कूरियर द्वारा भेजा जाता है, यदि पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, यदि फैक्स द्वारा भेजा जाता है तो प्रेषित होने पर (बशर्ते कि प्रेषक की ट्रांसमिशन रिपोर्ट से पता चलता है कि संपूर्ण फैक्स प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त कर लिया गया है और केवल तभी जब ट्रांसमिशन सुपाठ्य रूप में प्राप्त हुआ हो)।

ठ. अनुबंध की प्रभावी तिथि और अवधि

यह अनुबंध, पक्षकारों द्वारा इसके निष्पादन और वितरण पर प्रभावी हो जाएगा, और जब तक समझौते के अन्य प्रावधानों के अनुसार इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक यह उस समय तक लागू रहेगा जिसके लिए ओपन एक्सेस/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान किया गया है, जो नवीकरण की अविध के लिए ओपन एक्सेस/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के प्रतिपादन के अधीन है।

ड. चुक की घटनाएँ

एलटीसी/एमटीसी की चूक: इस अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय निम्नलिखित में से किसी भी घटना का घटित होना एलटीसी/एमटीसी द्वारा चुक की घटना मानी जाएगी:

- इस अनुबंध के तहत सहमत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में एलटीसी/एमटीसी द्वारा विफलता या इनकार।
- 3. उत्पादन सुविधा द्वारा उत्पादन और इंजेक्ट करने में विफलता और एलटीसी/एमटीसी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में छह महीने की अविध के लिए लगातार ऊर्जा संचारित करने और/या प्रसारित करने में विफलता, जैसा भी मामला हो।
- 4. इस अनुबंध के खंड छ(1) में निर्दिष्ट समय के भीतर इस अनुबंध में निर्दिष्ट प्रभारों का भुगतान न करना।

ढ. एलटीसी/एमटीसी चूक के लिए समापन:

- 2. उपरोक्त खंड ड(1) और ड (2) में निर्धारित किसी भी चूक की घटना के घटित होने पर, पारेशण/वितरण लाइसेंसधारी लिखित रूप में एलटीसी/एमटीसी को चूक नोटिस दे सकता है, जिसमें चूक की घटना के कारण चूक नोटिस का युक्तिसंगत विवरण दिया जाएगा और एलटीसी/एमटीसी को नोटिस की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसे ठीक करने के लिए कहा जाएगा।
- 3. यदि एलटीसी/एमटीसी नोटिस के 30 (तीस) दिनों के भीतर उपरोक्त नोटिस में अधिसूचित चूक को ठीक करने में विफल रहता है, तो पारेषण/वितरण लाइसेंसधारी तत्काल प्रभाव से इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा।
- 4. इस अनुबंध की समाप्ति पर, पारेषण/वितरण लाइसेंसधारी इस अनुबंध के तहत किए गए अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगा। हालाँकि, सभी पक्ष समाप्ति की तारीख से पहले इस अनुबंध से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करेंगी।

ण. बिलों का भुगतान न करना और ऋण पत्र जारी न करना

- यदि अनुबंध के अंतर्गत देय प्रभारों के किसी बिल के भुगतान में एलटीसी/एमटीसी द्वारा देरी होती है, तो वितरण/पारेषण लाइसेंसधारी आयोग के आदेशों में निर्दिष्ट दर के अनुसार विलंबित भुगतान अधिभार लगाएगा।
- 3. एलटीसी/एमटीसी उचित अविध के भीतर बैंक गारंटी (बीजी) खोलने के लिए सभी प्रयास करेंगे। उचित अविध के भीतर बैंक गारंटी स्थापित करने/बढ़ाने में विफल होने की स्थिति में या वैकल्पिक रूप से यिद बिल जारी होने की तारीख से दो महीने से अधिक अविध के लिए बैंक गारंटी के अभाव में कोई बिल भुगतान न किया गया हो, तो वितरण/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी एलटीसी/एमटीसी को बिजली की आपूर्ति बंद करने/विनियमित करने के लिए एसएलडीसी को सूचित करेगा। एसएलडीसी अपने विवेक से ऐसे लेनदेन को निर्धारित करने पर विचार नहीं कर सकता है या पहले से निर्धारित लेनदेन को निर्धारित करने

को रद्द कर सकता है या चूक ठीक होने तक भविष्य में ऐसे ग्राहक के किसी आवेदन पर विचार नहीं कर सकता है।

त. विविध प्रावधान

- 2. **छूट**: किसी पक्ष द्वारा तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए निर्धारित किसी अधिकार का प्रयोग करने में किसी भी प्रकार की विफलता और देरी को छूट के रूप में माना जाएगा। इस समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले या चूक के संबंध में किसी पक्ष द्वारा किसी भी अधिकार की छूट को चूक के किसी भी बाद के मामले के संबंध में छूट के रूप में नहीं माना जाएगा।
- 3. सीमाएं, उपचार और नुकसान: कोई भी पक्ष इस समझौते के कारण या यहां निष्पादित या किए जाने वाले किसी भी सेवा के कारण व्यक्तियों या संपत्ति के किसी भी परिणामी, अप्रत्यक्ष या विशेष नुकसान के लिए दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वह अपकृत्य, अनुबंध या अन्यथा उत्पन्न हो।.
- 4. **पृथक्करणीयता**: इस अनुबंध का कोई भी प्रावधान, जो किसी भी कानून के तहत निषिद्ध या अप्रवर्तनीय है, इस तरह के निषेध या अप्रवर्तनीयता की सीमा तक शेष प्रावधानों को अमान्य किए बिना और ऐसे अन्य प्रावधानों की वैधता, प्रवर्तनीयता या वैधता को प्रभावित किए बिना अप्रभावी होगा।
- 5. **संशोधन**: इस समझौते को संबंधित पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत निष्पादित और आयोग द्वारा अनुमोदित लिखित दस्तावेज के अलावा संशोधित, परिवर्तित, परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जाएगा।
- 6. असाइनमेंट: एलटीसी/एमटीसी पारेषण /वितरण लाइसेंसधारी की पूर्व लिखित सहमित और आयोग की मंजूरी के बिना इस अनुबंध या इसके किसी भी हिस्से को असाइन नहीं करेगा। बशर्ते कि कोई भी असाइनी असाइनमेंट से पहले इस अनुबंध के तहत उत्पन्न असाइनर के दायित्वों को स्पष्ट रूप से लिखित रूप में ग्रहण करेगा।

7. संपूर्ण अनुबंध, परिशिष्ट:

- क) यह अनुबंध पारेषण/वितरण लाइसेंसधारी और एलटीसी/एमटीसी के बीच इस विषय-वस्तु के संबंध में संपूर्ण समझौता है। अनुलग्नक, संलग्नक और दस्तावेज़, यदि कोई हों, इस समझौते का अभिन्न अंग हैं और पक्षों पर पूरी तरह बाध्यकारी होंगे।
- ख) इस अनुबंध के अनुच्छेदों के पाठ और इसके अनुलग्नकों, संलग्नकों या दस्तावेज़ों, यदि कोई हो, के बीच किसी असंगति की स्थिति में या किसी एक परिशिष्ट, संलग्नक या दस्तावेज़ के प्रावधानों और विवरणों तथा किसी अन्य परिशिष्ट, संलग्नक या दस्तावेज़ के बीच किसी असंगति की स्थिति में, पारेषण/वितरण लाइसेंसधारी और एलटीसी/एमटीसी असंगति को हल करने के लिए परस्पर परामर्श करेंगे।
- ग) इस विषय से संबंधित सभी पिछले मॉडल अनुबंध निरस्त हो गए हैं। हालाँकि, पहले के मॉडल अनुबंधों के आधार पर होने वाला कोई भी लेन-देन पहले के मॉडल अनुबंधों में निर्दिष्ट अविध के लिए वैध लेनदेन माना जाएगा।
- 8. आगे की कार्यवाही और आश्वासन: प्रत्येक पक्षकार स्वयं को आश्वस्त करने के पश्चात् सभी आगे के समझौतों, दस्तावेजों और लिखतों को निष्पादित करने और सौंपने, तथा सभी आगे के कार्यों और बातों को करने और निष्पादित करने के लिए सहमत होता है, जो इस अनुबंध के प्रावधानों को पूरा करने और इसके द्वारा परिकल्पित लेन-देन को पूरा करने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक होंगे।

इसके साक्ष्य स्वरूप, पक्षकारों ने अपने अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इस अनुबंध को निष्पादित करवाया है तथा इसकी प्रतियां ऊपर वर्णित तिथि और वर्ष के अनुसार प्रत्येक पक्षकार को सौंप दी गई हैं।

भाग – II बैंकिंग अनुबंध

बैंकिंग (जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियम, 2017 और इसके संशोधनों के अनुसार अनुमति दी गई बिजली की बैंकिंग के मामले में लागू)

 संग्रहित ऊर्जा का निपटान जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियम, 2017 और आयोग द्वारा अनुमत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशनों के संबंध में इसके संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

- 2. वितरण लाइसेंसधारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उत्पादन सुविधा स्थित है, को प्रत्येक निपटान अविध के अंत में अप्रयुक्त बची हुई संग्रहित ऊर्जा के लिए जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियम, 2017 और उसके संशोधनों के अनुसार टैरिफ का भुगतान करना होगा, जो कि उपरोक्त विनियमों में निर्धारित बैंकिंग प्रभारों के निपटान के अधीन होगा।
- 3. बैंकिंग के साथ-साथ संग्रहित की गई ऊर्जा की निकासी केवल बिजली के इंजेक्शन के बिंदु पर एक दिन पहले शेड्यूलिंग के अधीन होगी। हालाँकि, कैप्टिव जनरेटिंग सुविधा (नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित कैप्टिव जनरेटिंग स्टेशनों सहित) बैंकिंग शुल्कों को समायोजित करने के बाद ओपन एक्सेस विनियम, 2017 के अनुसार सभी लागू शुल्कों का भुगतान करने के बाद जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियम, 2017 के अनुसार अपने उपभोक्ताओं/उपयोगकर्ताओं को संग्रह की गई बिजली की आपूर्ति कर सकती है।
- 4. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशनों/आरई आधारित कैप्टिव उत्पादन स्टेशनों के कैप्टिव उपयोगकर्ताओं द्वारा वापस ली गई बिजली, जैसा कि एसईएम रीडिंग द्वारा पता लगाया गया है, जो बैंक की गई बिजली के विरुद्ध नहीं है, उसे बिक्री के रूप में माना जाएगा और वित्तीय निपटान जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियम 2017 और उसके संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।
- 5. जेईआरसी विनियमों/आदेशों के अधीन, उत्पादन सुविधा द्वारा इंजेक्ट की गई ऊर्जा को पहले बैंक की गई ऊर्जा में समायोजित किया जाएगा। इस तरह के समायोजिन के बाद, शेष ऊर्जा को जेईआरसी ओपन एक्सेस विनियम, 2017 और उसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार माना जाएगा।

के लिए एवं की ओर से

4.

के लिए एवं की ओर से

के लिए एवं की ओर से

<i>[</i> वितरण लाइसेंसधारी/बिजली विभाग का नाम दर्ज करें <i>]</i>	/्एलटीसी/एमटीसी का नाम दर्ज करें <i>]</i>	/्पारेषण लाइसेंसधारी का नाम दर्ज करें/
(नाम, पदनाम, पता और मुहर सहित हस्ताक्षर)	 (नाम, पदनाम, पता और मुहर सहित हस्ताक्षर)	 (नाम, पदनाम, पता और मुहर सहित हस्ताक्षर)
साक्षी	साक्षी	साक्षी
1	1	1
(नाम और पता सहित हस्ताक्षर) 2 (नाम और पता सहित हस्ताक्षर)	2(नाम और पता सहित हस्ताक्षर)	(नाम और पता सहित हस्ताक्षर) 2 (नाम और पता सहित हस्ताक्षर)
	[जो लागू न हो उसे काट दें]	
इंजेक्शन इकाई		अनुलग्नक-क
1. इकाई का नाम		
2. इकाई की स्थिति		
 जनोपयोगी सेवा जि 	समें सन्निहित है	

पारेषण या वितरण प्रणाली के साथ इंटरफेस (जैसा भी मामला हो)

	i)	सब-स्टेशन का नाम		
	ii)	वोल्टता स्तर		
	iii)	लाइसेंसधारी का नाम		
	आहर्ता इक	ाई		
	1.	इकाई का नाम		
	2.	इकाई की स्थिति		
	3.	जनोपयोगी सेवा जिसमें सन्निहित है		
	4.	पारेषण या वितरण प्रणाली के साथ इंटरफेस (जैसा भी मामला हो)		
	i)	सब-स्टेशन का नाम		
	ii)	वोल्टता स्तर		
	iii)	लाइसेंसधारी का नाम		
	दीर्घकालिव	ज्ञोपन एक्सेस/हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस विवरण		
	1.	ओपन एक्सेस/हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के प्रारंभ होने की तिथि/महीना 		
	2.	ओपन एक्सेस/हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस की अवधि		
	3.	आपन एक्सेस/हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस की अवधि (टाइम ब्लॉक)		
	4.	····· इंजेक्शन बिंदु पर क्षमता (किलोवाट/मेगावाट)		
_		अनुलग्नक- ख		
		भौर अनुमोदन		
1.		टी प्रदान करने की अनुमति और ओपन एक्सेस/ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का अनुमोदन।		
2.		तरण लाइसेंसधारी से सिंक्रोनाइजेशन अनुमोदन और कमीशर्निंग रिपोर्ट		
3.		सी द्वारा चक्रण और बैंकिंग (जहां भी लागू हो) अनुमोदन		
4.		ना से इंजेक्शन बिंदु/सबस्टेशन तक बिजली की निकासी के लिए पारेषण लाइन को चालू करने के लिए नेरीक्षक की मंजूरी।		
5.	वर्तमान में	लागू किसी भी कानून के अंतर्गत अनुमोदन आवश्यक है।		
		अनुलग्नक II: कनेक्शन अनुबंध		
यह	अनुबंध	दिनांक20के बीच हुआ है,-		
	(i)	(नाम)का(पता) (इसके बाद इसे "वितरण लाइसेंसधारी" कहा जाएगा;		
	(ii)	(नाम)का(पता) (इसके बाद "आवेदक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा;		
		नाइसेंसधारी के पास उसके लाइसेंस में निर्दिष्ट आपूर्ति क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने के लिए		
वितः	रण प्रणाली	संचालित करने और रखरखाव करने का लाइसेंस है:		

जबिक आवेदक एक [जनरेटिंग स्टेशन/लाइसेंसी] है, जो अधिनियम और जेईआरसी (अंतर-राज्यीय पारेषण और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017, समय-समय पर यथासंशोधित, के प्रावधानों के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली से जुड़ने के लिए पात्र है।:

यह समझौता निम्नलिखित के संबंध में पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है:

- क) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आवेदक को वितरण प्रणाली से कनेक्शन का प्रावधान तथा आवेदक द्वारा ऐसे कनेक्शन के लिए भुगतान;
- ख) वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली से ऐसे कनेक्शन के संबंध में आवेदक के दायित्व:

दोनों पक्ष निम्नलिखित रूप से सहमत हैं:

1. अधिनियम, नियमों और विनियमों का अनुपालन

इस समझौते के सभी पक्ष अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों और विनियमों का अनुपालन करेंगे। जहां इस समझौते का कोई प्रावधान अधिनियम और/या उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों या विनियमों के प्रावधानों से असंगत है, वहां अधिनियम, नियमों या विनियमों के प्रावधानों को, जैसा भी मामला हो, ऐसी असंगतता की सीमा तक प्राथमिकता दी जाएगी।

2. गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जेईआरसी (अंतर-राज्यीय पारेषण और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 और समय-समय पर संशोधित राज्य ग्रिड कोड का अनुपालन

इस समझौते के सभी पक्ष गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों (अंतर-राज्यीय पारेषण और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 और इसके संशोधनों के लिए जेईआरसी के प्रावधानों, लागू सीमा तक राज्य ग्रिड कोड का अनुपालन करेंगे।

3. अनुबंध की अवधि

यह अनुबंध, अनुबंध में दिए गए अनुसार प्रारंभ की तारीख और समय से शुरू होगा और पक्षों के बीच सहमति से निर्धारित अवधि तक जारी रहेगा, जब तक कि इसे खंड 2 के अनुसार समाप्त नहीं कर दिया जाता।

4. अनुबंध की समाप्ति

1. इस अनुबंध को समाप्त करने का इरादा रखने वाले किसी भी पक्ष को अन्य पक्षों को इस अनुबंध को समाप्त करने की कम से कम तीस दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी:

बशर्ते, समाप्ति अधिनियम, विनियमों और इस अनुबंध के अनुसार वितरण लाइसेंसधारियों के सभी बकाए के निपटान के अधीन होगी।

- 2. वितरण लाइसेंसधारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में इस अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं और आवेदक का कनेक्शन काट सकते हैं:-
 - क) आवेदक अधिनियम की धारा 56 के तहत देय किसी भी शुल्क या किसी अन्य राशि का भुगतान करने में चूक करता है; या
 - ख) ओपन एक्सेस लेनदेन में अनुबंध का कोई उल्लंघन जहां आवेदक एक पक्ष है और जो वितरण लाइसेंसधारी या आपूर्ति वितरण लाइसेंसधारी को प्रभावित कर रहा है;
 - ग) आवेदक अधिनियम की धारा 163 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कार्य करता है; या;
 - घ) विच्छेदन अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान, उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और/या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत अधिकृत है।
- 3. आवेदक, उपरोक्त खंड 5.1 के अंतर्गत नोटिस अविध के भीतर, नोटिस में बताए गए कारण या कारणों का समाधान करेगा या उन्हें दूर करेगा, अन्यथा वितरण लाइसेंसधारी नोटिस में बताई गई तिथि से इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
- 4. विच्छेदित आवेदक का पुनः कनेक्शन अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

5. विवाद समाधान

- प्रत्येक पक्षकार किसी भी विवाद को द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से सुलझाने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा, जिन पर पारस्परिक सहमति हो सकती है।
- 2. जहां इस समझौते के तहत वितरण लाइसेंसधारी और आवेदक के बीच किसी विवाद को द्विपक्षीय रूप से हल नहीं किया जा सकता है, इसे गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जेईआरसी (अंतर-राज्यीय पारेषण और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 और इसके संशोधनों के अनुसार हल किया जाएगा।

6. अप्रत्याशित घटना

- यदि कोई भी पक्ष किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने के कारण इस अनुबंध के अंतर्गत किसी दायित्व को समय पर पूरा करने में पूर्णतः या आंशिक रूप से असमर्थ है, तो उस दायित्व को, जहां तक कि उस पक्ष की निष्पादन क्षमता अप्रत्याशित घटना से प्रभावित होती है, बिना किसी देयता के निलंबित कर दिया जाएगा।
- ii. किसी अप्रत्याशित घटना से प्रभावित पक्ष इस अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने वाली प्रत्येक अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को दूर करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा।
- iii. खंड 7.2 के अधीन, यदि कोई पक्ष यह समझता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जो किसी अप्रत्याशित घटना का कारण बनती है या होने की संभावना है या जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्याशित घटना होती है, तो वह यथासंभव शीघ्रता से दूसरे पक्ष को अप्रत्याशित घटना के विवरण सहित नोटिस देगा
 - क) इसकी प्रकृति और संभावित अवधि,
 - ख) इससे प्रभावित होने वाले दायित्व तथा उन दायित्वों पर इसके प्रभाव की प्रकृति और सीमा; तथा
 - ग) इसके प्रभाव को हटाने, काबू पाने या कम करने के लिए उठाए गए कदम:

बशर्ते अप्रत्याशित घटना की शर्तों को गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों (अंतर-राज्यीय पारेषण और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 और इसके संशोधनों के अनुसार लागू किया जाएगा।

7. अनुबंध में परिवर्तन

दोनों पक्ष इस अनुबंध में किसी भी संशोधन पर सद्भावपूर्वक बातचीत करने के लिए सहमत हैं, जो राज्य में ओपन एक्सेस की शुरूआत में प्राप्त अनुभव के परिणामस्वरूप उचित रूप से आवश्यक हो सकता है।

8. कनेक्ट करने के लिए अनुबंध

- 1. इस अनुबंध के नियमों और शर्तों के अधीन, वितरण लाइसेंसधारी इस बात पर सहमत है कि आवेदक का परिसर कनेक्शन बिंदु पर वितरण प्रणाली से जुड़ा रहेगा और जुड़ा रहेगा तथा इस अनुबंध की अविध के लिए कनेक्शन बिंदु सिक्रिय रहेगा, सिवाय इसके कि अधिनियम या अंतर-राज्यीय पारेषण और वितरण विनियमों में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस के तहत अधिकृत किया गया हो।
- 2. आवेदक को वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली से अपने कनेक्शन के संबंध में सभी उचित सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि निम्नलिखित पर कोई प्रतिकृल प्रभाव न पड़े;
 - क) वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली का उपयोग;
 - ख) वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता; और
 - ग) वितरण लाइसेंसधारी के कार्यों और कार्मिकों की सुरक्षा, जैसा कि अधिनियम की धारा 53 के तहत निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार आवेदक के लिए अपेक्षित हो।

9. आवेदनों का प्रसंस्करण

- 1. आवेदन प्राप्त होने पर वितरण लाइसेंसधारी अपने अधिकृत प्रतिनिधि को भेजता है:
 - क) वितरण प्रणाली से कनेक्शन करने की तकनीकी आवश्यकताओं का अध्ययन करें

- ख) आवेदक को पूर्व सूचना देकर, उस परिसर का निरीक्षण करें जिसे जोड़ा जाना है
- 2. प्राधिकृत प्रतिनिधि, आवेदक के साथ सहमित से, मुख्य लाइन, कट-आउट या सिकेट ब्रेकर और मीटर की जगह तय करेगा और परिसर के लिए लोड स्वीकृत करेगा।:
 - बशर्ते कि सेवा की जगह सामान्यतः सुगम स्थान पर होगी और मीटर को ऐसी ऊंचाई पर लगाया जाएगा जिससे मीटर को सुविधाजनक ढंग से पढ़ा जा सके और मीटर को किसी प्रतिकूल मौसम के प्रभाव से बचाया जा सके।
- 3. उपरोक्त खंड 9(1) में निर्दिष्ट निरीक्षण किए जाने के पश्चात, वितरण लाइसेंसधारी आवेदक को कनेक्शन देने के लिए किए जाने वाले किसी भी कार्य का ब्यौरा, नीचे खंड 10 के अनुसार आवेदक द्वारा वहन किए जाने वाले प्रभार तथा आवेदक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले बकाया दस्तावेजों और सहमितयों/वैधानिक अनुमितयों की सूची की जानकारी देगा।
- 4. अपेक्षित शुल्कों के साथ विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर, तथा उपयुक्त भूमि या कमरे की उपलब्धता और अन्य सभी आवश्यक सहमितयों और अनुमितयों के प्राप्त होने पर, वितरण लाइसेंसधारी कनेक्शन प्वाइंट को सिक्रय करने के लिए आवश्यक कार्यों को मंजूरी देगा और पूरा करेगा या करने की अनुमित भी दे सकता है।
- 5. वितरण लाइसेंसधारी, आवेदक को कनेक्शन को ऊर्जीकृत करने के लिए किसी भी परीक्षण की कम से कम 2 दिन पूर्व सूचना देगा तथा कनेक्शन को ऊर्जीकृत करने के तुरंत बाद आवेदक को सुविधा के कनेक्शन के समय और तारीख की सूचना देगा।
- 6. आवेदक, उपर्युक्त खंड 5 के अंतर्गत ऐसी अधिसूचना प्राप्त होने से पूर्व, कनेक्शन प्वाइंट के माध्यम से वितरण प्रणाली से बिजली का आयात या निर्यात करने जैसा कोई कार्य नहीं करेगा।
- 7. वितरण प्रणाली को कनेक्शन प्रदान करने के लिए किए गए कार्यों का रखरखाव इस अनुबंध की अवधि के दौरान वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा।
- 8. वितरण लाइसेंसधारी किसी अन्य पात्र व्यक्ति को कनेक्शन प्रदान करने के लिए या ऐसे वितरण लाइसेंसधारी के किसी उपभोक्ता को आपूर्ति प्रदान करने के लिए ऐसे कार्यों का उपयोग करने का हकदार होगा, सिवाय इसके कि ऐसा उपयोग आवेदक के कनेक्शन के लिए या ऐसे उपभोक्ता के संबंध में वितरण प्रणाली के उपयोग के लिए हानिकारक हो।

10. प्रभार लगाने के सिद्धांत

- जहां कनेक्शन में वितरण मुख्य लाइन से आवेदक के परिसर तक सर्विस लाइन बिछाने का कार्य शामिल है, वहां वितरण लाइसेंसधारी को विद्युत आपूर्ति संहिता के तहत आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क अनुसूची के आधार पर आवेदक से ऐसे कार्यों पर किए गए सभी खर्चों को वसूलने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
- 2. जहां कनेक्शन में समर्पित सुविधाओं की स्थापना का कार्य शामिल है, वितरण लाइसेंसधारी को अनुमोदित शुल्क अनुसूची के आधार पर आवेदक से ऐसे कार्यों पर उचित रूप से किए गए सभी खर्चों को वसूलने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
- 3. जहां ऐसी सुविधाएं आवेदक द्वारा प्रदान की गई हैं, तो ऐसी सुविधाएं इस अनुबंध की समाप्ति पर आवेदक द्वारा बरकरार रखी जा सकती हैं:
 - बशर्ते कि जहां इस अनुबंध की समाप्ति आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत किसी राशि का भुगतान करने में विफलता के कारण हुई हो, वितरण लाइसेंसधारी, उस धारा के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों के अतिरिक्त, ऐसी देय राशि को उन सुविधाओं की वसूली योग्य राशि से समायोजित करने का हकदार होगा जिनसे आवेदक जुड़ा हुआ है या ऐसी वसूली योग्य राशि की सुविधाएं बरकरार रखने का हकदार होगा जिससे ऐसे आवेदक से वितरण लाइसेंसधारी को देय ऐसी राशियों को कवर किया जा सके।
- 4. जहां वितरण लाइसेंसधारी आवेदक को लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार के माध्यम से कनेक्शन के लिए कार्य करने की अनुमित देता है, वहां वितरण लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किए गए पर्यवेक्षण के लिए केवल उस श्रम की लागत का अधिकतम 15 प्रतिशत तक शुल्क वसूलने का हकदार होगा, जिसे वितरण लाइसेंसधारी द्वारा ऐसे कार्यों को करने में नियोजित किया गया होगा।

5. इस खंड के अंतर्गत सभी कार्यों के पूरा होने पर, वितरण लाइसेंसधारी, कार्य की पूर्णता के बारे में आपूर्ति वितरण लाइसेंसधारी को सूचित करेगा।

11. नाम परिवर्तन

- 1. आवेदक की मृत्यु पर या नए मालिक या कब्जेदार द्वारा नाम बदलने के लिए आवेदन करने पर स्वामित्व या परिसर के अधिभोग के हस्तांतरण के मामले में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर एक कनेक्शन स्थानांतरित किया जा सकता है: बशर्ते कि नाम में ऐसा परिवर्तन आवेदक को कनेक्शन को नए परिसर में स्थानांतरित करने की मांग करने का अधिकार नहीं देगा।
- 2. नाम परिवर्तन के लिए आवेदन के साथ वितरण लाइसेंसधारी को ऐसे प्रभार संलग्न करने होंगे, जैसा कि विद्युत आपूर्ति संहिता के अंतर्गत अनुमोदित है।
- 3. धारा 11(1) के अंतर्गत आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे:
 - क) हस्तान्तरितकर्ता के नाम पर कनेक्शन के हस्तांतरण के लिए सहमति पत्र;
 - ख) सहमति पत्र के अभाव में, परिसर के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक: (क) परिसर के स्वामित्व का प्रमाण; (ख) विभाजन की स्थिति में, विभाजन विलेख; (ग) पंजीकृत विलेख; या (घ) उत्तराधिकार प्रमाण पत्र:
 - ग) यदि कानून द्वारा अपेक्षित हो तो उस प्रयोजन के संबंध में लाइसेंस/मंजूरी की फोटोकॉपी जिसके लिए परिसर में बिजली की आपूर्ति की जा रही है;
 - घ) प्रसंस्करण शुल्क या उसकी रसीद
- 4. वितरण लाइसेंसधारी नाम परिवर्तन के लिए आवेदन की तिथि से 2 महीने के भीतर आवेदक को नाम परिवर्तन पर लिए गए निर्णय से अवगत कराएगा:
 - बशर्ते कि जहां वितरण लाइसेंसधारी नाम परिवर्तन की अनुमित नहीं देता है या उससे इनकार करता है, वहां वह नाम परिवर्तन के लिए आवेदक को मामले में सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद ऐसा करेगा।:
 - बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी नाम परिवर्तन के लिए आवेदक को पत्र के माध्यम से, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी शामिल है, लिखित रूप में इनकार करने के कारणों की जानकारी देगा।
- 5. वितरण लाइसेंसधारी को देय प्रभार के अलावा कोई प्रभार या कोई अन्य राशि, जो मृतक उपभोक्ता या परिसर के भूतपूर्व मालिक/कब्जाधारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा अदा नहीं की जाती है, वह परिसर पर प्रभार होगा, जिसे कानूनी प्रतिनिधियों/उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किया जाएगा या परिसर के नए मालिक/कब्जाधारी, जैसा भी मामला हो, को हस्तांतरित किया जाएगा, और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उसे ऐसे कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकारियों या परिसर के नए मालिक/कब्जाधारी, जैसा भी मामला हो, से बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा:

बशर्ते कि कानूनी उत्तराधिकारी को कनेक्शन के हस्तांतरण के मामले को छोड़कर, इस खंड 11(5) के तहत हस्तांतरित देयताएं अधिनियम की धारा 56 और इस समझौते के अनुसार वितरण लाइसेंसधारियों को देय अवैतनिक प्रभारों की अधिकतम छह महीने की अविध तक सीमित रहेंगी।

12. पावर फैक्टर और हार्मोनिक्स

- 1. आवेदक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने भार का औसत पावर फैक्टर भारतीय विद्युत नियम, 1956 द्वारा निर्धारित स्तर पर बनाए रखे, जिसमें यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे वितरण लाइसेंसधारी द्वारा भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 27 तथा आयोग के सुसंगत आदेशों के अनुसार अपनाया जाएगा।
- 2. आवेदक के लिए आईईईई एसटीडी 519-1992 द्वारा निर्धारित स्तरों पर और आयोग के प्रासंगिक आदेशों के अनुसार अपने भार के हार्मोनिक्स को नियंत्रित करना अनिवार्य होगा।
- 3. वितरण लाइसेंसी उचित समयावधि के भीतर, जो 3 माह से कम नहीं होगा, आवेदक से ऐसे प्रभावी उपाय करने की अपेक्षा कर सकता है जिससे औसत पावर फैक्टर को बढ़ाया जा सके अथवा उसके संस्थापन के हार्मोनिक्स को

निर्धारित मानक से कम न होने वाले स्तर तक बढ़ाया जा सके:

बशर्ते कि आपूर्ति वितरण लाइसेंसधारी आयोग के प्रासंगिक आदेशों के अनुसार, कम/उच्च पावर फैक्टर और हार्मोनिक्स के लिए जुर्माना लगा सकता है या प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है।

परिसर तक पहुंच

1. वितरण लाइसेंसधारी के अधिकृत प्रतिनिधि या अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी विद्युत संयंत्र, विद्युत लाइनों या मीटर को संचालित करने, संभालने या हटाने या तोड़ने, हटाने, मिटाने या अन्यथा आवेदक के परिसर में वितरण लाइसेंसधारी की ऐसी संपत्ति पर लगाई गई मुहरों, नेम प्लेटों और विशिष्ट संख्याओं या चिह्नों के साथ हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।:

बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी के ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि आवेदक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति के अलावा इस खंड 13 के अंतर्गत कोई भी कार्य नहीं करेंगे।:

बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी आवेदक को उसके परिसर में प्राधिकृत प्रतिनिधि के दौरे की पूर्व सूचना देगा, सिवाय उस स्थिति के जहां वितरण लाइसेंसधारी के पास यह मानने का कारण हो कि कोई व्यक्ति बिजली के अनिधकृत उपयोग में लिप्त है और/या ऐसे परिसर में अधिनियम के भाग XIV में प्रदत्त प्रकृति का कोई अपराध कर रहा है।

2. आवेदक वितरण लाइसेंसधारी के अधिकृत प्रतिनिधियों को मीटर पढ़ने, निरीक्षण करने, परीक्षण करने, स्थापित करने, हटाने या बदलने या कनेक्शन प्वाइंट को चालू या बंद करने के लिए अपने परिसर में प्रवेश की अनुमति देगा।

14. सूचना का आदान-प्रदान

1. वितरण लाइसेंसधारी और आवेदक, ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और वितरण प्रणाली से उनके कनेक्शन और उपयोग के संबंध में एक-दूसरे को समय पर ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए अपने उचित प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत हैं, जो उनमें से किसी के पास भी हो सकती है और जिसकी दूसरे को अधिनियम, नियमों, अंतर-राज्यीय पारेषण और वितरण विनियमों में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस या इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उचित रूप से आवश्यकता हो सकती है।:

बशर्ते कि इस खंड के तहत सूचना का प्रावधान अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत अनुरोध की गई ऐसी जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के दायित्वों के अधीन होगा।

2. वितरण लाइसेंसधारी और आवेदक यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए सहमत हैं कि इस अनुबंध के तहत उनमें से किसी एक द्वारा दूसरे को प्रदान की गई सभी जानकारी सटीक और पूर्ण है।

15. शासी कानून और क्षेत्राधिकार

यह समझौता भारतीय कानूनों और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होगा

16. कनेक्शन अनुबंध में संशोधन

कनेक्शन बिंदु में संशोधन के मामले में जैसे कि बे का पुन: आवंटन, वोल्टता स्तर का उन्नयन, आदि, किसी भी पक्ष द्वारा, यदि पारस्परिक रूप से सहमत हो, तो कनेक्शन अनुबंध में एक संशोधन इस तरह के संशोधन को लागू करने के 30 दिनों के भीतर पक्षों के बीच निष्पादित किया जाएगा।

जिसके साक्ष्य में वितरण लाइसेंसधारी और आवेदक ने इस समझौते को उपरोक्त लिखित तिथि पर विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित करवाया है।

नाम और हस्ताक्षर आवेदक नाम और हस्ताक्षर वितरण लाइसेंसधारी

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For State of Goa and Union Territories)

NOTIFICATION

Gurugram, the 13th August, 2024

Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution)

(Third Amendment) Regulations, 2024

No. JERC-21/2017.—In exercise of the powers conferred under Section 86 (3) and Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling the Commission in this behalf and after due public consultation process, the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa & Union Territories) hereby, makes the following amendments in the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as "Principal Regulations").

REGULATIONS

1) Short Title, Commencement and Extent

- a) These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) (Third Amendment) Regulations, 2024.
- b) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- c) These Regulations shall extend to the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Puducherry and Chandigarh.

2) AMENDMENT IN REGULATION 2 OF THE PRINCIPAL REGULATIONS:

- (i) In Regulation 2.1 (b), "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".
- (ii) In Regulation 2.1 (c), "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".
- (iii) In Regulation 2.1(u.1) shall be substituted as under:

Inter-connection point shall mean interface point of Renewable Energy generating facility with the transmission system or distribution system, as the case may be:

- i. in relation to wind energy projects and solar photovoltaic projects, inter-connection point shall be line isolator on outgoing feeder on HV side of the pooling sub-station;
- ii. in relation to hydro generation, pumped storage hydro generation, energy storage system and storage (if the storage uses only renewable energy) generation, Waste-to-Energy based generation, biomass and bagasse based co-generation projects, the inter-connection point shall be line isolator on outgoing feeder on HV side of generator transformer;"
- (iv) In Regulation 2.1 (v), "/Long-term Green Energy Open Access" shall be added after "Long-term Open Access" and "/LTGEOA" shall be added after "LTOA".
- (v) In Regulation 2.1 (w), "/Medium-term Green Energy Open Access" shall be added after "Medium-term Open Access" and "/MTGEOA" shall be added after "MTOA".
- (vi) Regulation 2.1(d.1) shall be substituted as under:

Banking of Energy means the surplus Green Energy/Renewable Energy injected in the grid and credited with the distribution licensee by the Green Energy Open Access consumers and that shall be drawn along with charges to compensate additional costs; if any;

- (vii) In Regulation 2.1(e.1), "of one (1) month" shall be added after "means the period".
- (viii) Regulation 2.1(bb) shall be substituted as under:

Green Energy/Renewable Energy means the electrical energy from renewable sources of energy including hydro, pumped storage hydro generation, energy storage system and storage (if the storage uses only renewable energy), Waste-to-Energy based generation, biomass and bagasse based cogeneration plants or any other technology as may be notified by the Commission from time to time and

shall also include any mechanism that utilizes renewable energy to replace fossil fuels including production of green hydrogen or green ammonia;

- (ix) In Regulation 2.1(dd), "/Short-term Green Energy Open Access" shall be added after "Short- term Open Access" and "/STGEOA" shall be added after "STOA".
- (x) Regulation 2.1 (hh.2), "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".
- (xi) The following shall be added after Regulation 2.1 (hh.2) i.e., "Third Party Consumer" of the Principal Regulations:
 - a. "f.1) "Central Nodal Agency" means the nodal agency notified by the Central Government to set up and operate a single window green energy open access system for renewable energy;"
 - b. "r.1) "Entity" means any consumer who has contracted demand or sanctioned load of 100 kW or more either through single connection or through multiple connections aggregating 100 kW or more located in the same electricity division of a distribution licensee, except for captive consumers:

Provided that in case of captive consumers, there shall not be any load limitation;"

- c. "r.4) "Fossil Fuel" means fuels such as coal, lignite, gas, liquid fuel or combination of these as its primary source of energy, which are used in Thermal Generating Station for generating electricity;"
- d. "t.1) "Green Ammonia" means ammonia produced by way of electrolysis of water using Renewable Energy; including renewable energy which has been banked and the ammonia produced from biomass".
- e. "t.2) "Green Energy Open Access Consumer" means any person who has contract demand or sanctioned load of 100 kW or more or as may amended in the Rules from time to time".
- f. "t.3) "Green Hydrogen" means Hydrogen produced using renewable energy, including, but not limited to, production through electrolysis or conversion of biomass. Renewable energy also includes such electricity generated from renewable sources which is stored in an energy storage system or baked with the grid in accordance with applicable Regulations.

Whereas, for Green Hydrogen produced through electrolysis: - The non-biogenic greenhouse gas emissions arising from water treatment, electrolysis, gas purification and drying and compression of hydrogen shall not be greater than 2 kilogram of carbon dioxide equivalent per kilogram of Hydrogen (kg CO₂, eq/kg Hydrogen), taken as an average over last 12-month period.

Whereas, for Green Hydrogen produced through conversion of biomass:-The non-biogenic greenhouse gas emissions arising from biomass processing, heat/steam generation, conversion of biomass to hydrogen, gas purification and drying and compression of hydrogen shall not be greater than 2 kilogram of carbon dioxide equivalent per kilogram of Hydrogen (kg $\rm CO_2$ eq/kg Hydrogen) taken as an average over last 12-month period;"

g. "bb.2) "Rules" shall mean the Electricity (Promoting Renewable Energy through Green Energy Open Access) Rules, 2022 and its subsequent amendments;"

3) Amendment in Regulation 1.2 of the Principal Regulations:

- (i) In Regulation 1.2(7) and its proviso, "/Long-term Green Energy Open Access" shall be added after "Long-term Open Access", "/Medium-term Green Energy Open Access" shall be added after "Medium-term Open Access" and "/Short-term Green Energy Open Access" shall be added after "Short-term Open Access".
- (ii) In Regulation 1.2(8) "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".

4) Amendment in Regulation 1.3 of the Principal Regulations:

- (i) In Regulation 1.3(7), "(as amended from time to time)" shall be added after "Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2007."
- (ii) In Regulation 1.3(9) and its proviso, "/Long-term Green Energy Open Access" shall be added after "Long-term Open Access", "/Medium-term Green Energy Open Access" shall be added after "Medium-term Open Access", "/Short-term Green Energy Open Access" shall be added after "Short-term Open Access" and "Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".
- (iii) In Regulation 1.3(10) "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 35

5) Heading of Chapter-2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"General Conditions for Open Access/Green Energy Open Access"

6) Heading of Regulation 2.1 shall be substituted as under:

"2.1 Phasing of Open Access/Green Energy Open Access"

Insertion of 2nd and 3rd Provisos in Regulation 2.1 in Chapter-2 of the Principal Regulations:

7) The following proviso shall be added after the 1st proviso to Regulation 2.1 in Chapter-2 of the Principal Regulations:

Provided further that the consumers having contracted demand or sanctioned load of 100 kW or more or as may be specified by the Commission from time to time shall be provided Green Energy Open Access, subject to no operational constraints in the Distribution Licensee's system.

Provided also that there shall be no limit of supply of power for the captive consumers taking power under Green Energy Open Access

8) Heading of Regulation 2.2 shall be substituted as under:

"2.2 Eligibility for Open Access/Green Energy Open Access and Conditions to be Satisfied"

9) Amendment in Regulation 2.2(1) of the Principal Regulations:

- i. In Regulation 2.2(1)(b), "including Renewable Energy Generating Company" shall be added after "a generating company".
- ii. In proviso of Regulation 2.2(1), "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".
- iii. The following proviso shall be inserted after 2.2(1) as under:

Provided that Green Energy Open Access consumer shall not change the quantum of power consumed through open access for twelve consecutive time blocks of 15 minutes time interval during a day.

- iv. In Regulation 2.2(2)(b), "including Renewable Energy Generating Company" shall be added after "a generating company".
- v. In Regulation 2.2(2) and its proviso, "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".
- vi. In Regulation 2.2(4) and its proviso, "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".
- 10) In Regulation 2.2(3), "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".
- 11) Heading of Regulation 2.2 shall be substituted as under:

"2.4 Provisions for Existing Consumers and Generating Company Availing Open Access/ Green Energy Open Access"

- 12) Amendment in Regulation 2.2(1) of the Principal Regulations:
- 13) In Regulation 2.2(6), "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".
- 14) Heading of Regulation 2.7 shall be substituted as under:
 - "2.7 Criteria for Granting Open Access/ Green Energy Open Access"

15) Amendment in Regulation 2.7 of the Principal Regulations:

- i. In Regulation 2.7(1) and its proviso, "/Long-term Green Energy Open Access" shall be added after "Long-term Open Access".
- ii. In Regulation 2.7(2) and its proviso, "/Long-term Green Energy Open Access" shall be added after "Long-term Open Access" and "/Medium-term Green Energy Open Access" shall be added after "Medium-term Open Access".
- iii. In Regulation 2.7(3) and its proviso, "/Long-term Green Energy Open Access" shall be added after "Long-term Open Access", "/Medium-term Green Energy Open Access" shall be added after "Medium-term Open Access". and "/Short-term Green Energy Open Access" shall be added after "Short-term Open Access".

16) Heading of Regulation 3.1 shall be substituted as under:

- "3.1 Categories of Open Access Consumers/ Green Energy Open Access Consumers"
- 17) In Regulation 3.1(c), "/Long-term Green Energy Open Access" shall be added after "Long-term Open Access", "/Medium-term Green Energy Open Access" shall be added after "Medium-term Open Access" and "/Short-term Green Energy Open Access" shall be added after "Short-term Open Access".
- 18) Heading of Regulation 3.2 shall be substituted as under:
 - "3.2 Nodal Agency and fee for Open Access/ Green Energy Open Access"
- 19) The following proviso shall be added after Regulation 3.2(1):

Provided that all the applications related to Green Energy Open Access shall be submitted to the portal set up by the Central Nodal Agency. The applications shall be routed to the Nodal Agency by the Central Nodal Agency. The procedure for grant of Green Energy Open Access shall be governed by Regulation 3.7(A):

20) The proviso after Regulation 3.2(3) shall be deleted.

21) Regulation 3.5.2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

The application shall be accompanied by a bank guarantee of Rupees one lakh (₹ 1,00,000) per MW or part thereof for the total power to be transmitted. The bank guarantee shall be in favour of the Nodal Agency in the format as per the Detailed Procedure.

22) Regulation 3.6.3 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

The application shall be accompanied by a bank guarantee of Rupees twenty thousand (₹ 20,000) per MW or part thereof for the total power to be transmitted. The bank guarantee shall be in favour of the Nodal Agency, in the manner laid down under the Detailed Procedure.

23) The following shall be added after Regulation 3.7 of the Principal Regulations:

3.7(A) Procedure for grant of Green Energy Open Access

- a) The Green Energy Open Access applicant shall submit a complete application in all aspects, in the format as specified by Central Nodal Agency on the central portal set up by the Central Nodal Agency.
- b) The application shall be forwarded to the concerned Nodal Agency by the Central Nodal Agency for further verification and the same shall be decided by the nodal agency within 15 days from the date on which received by Nodal Agency from Central Nodal Agency.

The following time schedules shall be followed for processing the Application:

Sr. No.	Particulars	Timeline	Remarks
1.	Date on which application is received by Nodal Agency from Central Nodal Agency	T0 = Zero Date	

Sr. No.	Particulars	Timeline	Remarks
2.	Acknowledgement of receipt of Application	T0 = Zero Date	The acknowledgement shall be provided immediately by electronic mode
3.	Acceptance of application by Nodal Agency after confirming that all the relevant documents are furnished by the applicant including processing fees and BG	T0 + 1 working day	Nodal Agency shall inform the Applicant of any errors or missing information. Provided that in cases where there is any material change in the location of the Applicant or a change by more than ten (10) percent in the quantum of power to be interchanged using the Intra-State Transmission System and/or Distribution System, a fresh application shall be made, which shall be considered in accordance with the provisions of these Regulations
4.	Forwarding of Application to concerned STUs / DISCOMs.	T0+3 working days	On acceptance of the application, the same shall be forwarded to concerned STUs/DISCOMs for ensuring the system availability.
5.	Intimation from STUs/DISCOMs.	T0+7 working days	On receipt of the application for Green Energy Open Access, the Nodal Agency shall obtain all the permissions and clearances from the Distribution Licensees, SLDC, STU and other agencies, as may be required, for the Green Energy Open Access transaction. The Applicant shall submit any other information sought by the Nodal Agency including the basis for assessment of the power to be interchanged using the Intra-State Transmission System or Distribution System and the power to be transmitted to or from various entities or regions to enable the Nodal Agency to plan the Intra-State Transmission System and Distribution System in a comprehensive manner. In case margin is available in the network and also availability of necessary infrastructure then STU/DISCOM shall intimate to the Nodal Agency about validity of its application. In case of GE-LTOA/GE-MTOA, if system strengthening/augmentation to the existing Intra-State Transmission System and / or Distribution System is required, STU/DISCOM shall intimate to the Applicant and the Nodal Agency regarding the work involved for system strengthening / augmentation. Upon receipt of such information, the Applicant may request the Nodal Agency to carry out further system studies and preliminary investigation for the purpose of estimating the cost and the time that would be required for system strengthening:

Sr. No.	Particulars	Timeline	Remarks
			Provided that the Nodal Agency shall intimate the cost estimates, likely completion schedule and estimated date from which Green Energy Open Access shall be allowed after system strengthening within thirty (30) Days confirmation from the Applicant:
			Provided that in case the Applicant does not agree to avail Green Energy Open Access with system strengthening, his application shall be rejected and the bank guarantee shall be released.
			The Applicant shall accordingly deposit the estimated amount for augmentation to the Nodal Agency.
			In case system Strengthening is not required, probable date of granting Green Energy Open Access shall be intimated to Nodal Agency within the same time.
			In case intimation is not received within the specified time from STU/DISCOM as the case may be, the Nodal Agency shall consider it to be deemed valid application.
			Provided that the system studies at the drawl point to ascertain the availability is not required for a consumer of the licensee availing Green Energy Open Access, subject to the applicant furnishing an undertaking that, he would not exceed the contract demand specified in his supply agreement with the licensee even after opting for Open Access.
			Provided that in case of captive generating plant the limit of contract demand of 100 kW and above is not applicable for availing the green energy open access.
			The Nodal Agency shall intimate the Applicant, regarding the validity of the Application for grant of Green Energy Open Access within the time specified.
6.	Intimation by Nodal Agency to the Applicant	T0 + 8 working days	In case Green Energy Open Access cannot be granted, the same shall be intimated by the Nodal Agency to the Applicant within the above time furnishing the reasons in writing for nongrant of Green Energy Open Access sought.

Sr. No.	Particulars	Timeline	Remarks
			In case, Nodal Agency fails to intimate the grant of Green Energy Open Access or otherwise, within the above specified time, the same shall be deemed to have been granted, to be subject to system availability.
7.	Submission of Agreement by the applicant for Long term /Medium term Green Energy Open Access	T0 + 13 working days	The Applicant shall sign an agreement for Long-term Open Access with the concerned Licensees in accordance with the provisions in the Detailed Procedure mentioned in these Regulations.
			Thereafter, the concerned authority will ensure for execution of Agreement with the Applicant within five days and also provide the copy of such executed Agreement to the Applicant.
			The time limit for signing of Transmission Agreement by STU and Wheeling Agreement by distribution licensee shall be five days in each case, where it is required to sign both Agreements. Thereafter, the Applicant within three days of receipt of such executed Agreement(s) shall submit copy(ies) of signed Transmission and/or Wheeling agreement to the Nodal Agency and Nodal Agency shall provide acknowledgement of receipt/licensee(s).
			The Transmission and Wheeling Agreement to be executed in the standard format as the case may be prepared by Nodal Agency / licensee(s) as approved by the Commission.
			In case the Applicant fails to submit the Transmission and/or Wheeling Agreement within the specified time, the Open Access granted is deemed to have been cancelled.
8.	Submission of signed copies of agreement by concerned STUs/DISCOMs	T0 + 15 working days	In case STU / DISCOM fail to sign/submit the Transmission and/or Wheeling Agreement submitted by the applicant within the specified time above, the Transmission and/or Wheeling is deemed to have been approved.
			In case of deemed approval, the provisions of standard Agreement(s) approved by the Commission shall be applicable and binding.
			Accordingly, the applicant is allowed transmission and / or wheeling of energy from

Sr. No.	Particulars	Timeline	Remarks
			the effective date subject to filing of an 'Undertaking' on affidavit that it shall avail the transmission and / or wheeling of energy and terms & conditions of the deemed approved Agreement(s) are binding on it.
9.	Effective date for wheeling	In case the Nodal Agency receives from the applicant the copy of the executed agreement(s) / 'Undertaking on Affidavit with regard to deemed approval, as the case may be, the effective date for commencement of Green Energy Open Access of the applicant shall be the next date from the date of submission of signed copy of the agreement to the Nodal Agency	The applicant is allowed to wheel the energy from the effective date.

- (c) Nodal Agency shall ensure that non-refundable processing fee as specified in the Clause 3.2 of the Regulations shall be paid by the Applicant to the Nodal Agency.
- (d) An application for Long-Term and Medium-Term Green Energy Open Access shall be accompanied by a bank guarantee of Rupees fifty thousand (₹ 50,000) per MW for LT GEOA and Rupees ten thousand (₹ 10,000) per MW for MT GEOA or part thereof for the total power to be transmitted. The bank guarantee shall be in favour of the Nodal Agency in the format as per the Detailed Procedure.
- (e) The bank guarantee shall be kept valid till operationalization of the Long-term/Medium -Term Green Energy Open Access.
- (f) Where any application is rejected for any deficiency or defect, the Bank Guarantee shall be returned to the applicant and in such cases a fresh application to the Central Nodal portal shall be made by the applicant after curing the deficiency or defect.
- (g) Nodal agency shall, by an order in writing, approve the applications for the Green Energy Open Access within a period of 15 days, failing which it shall be deemed to have been approved subject to the fulfillment of the technical requirements as specified by the Commission.
 - Provided that the order of processing of such applications for Green Energy Open Access shall be first in first out.
- (h) While granting Long-term/Medium-term Green Energy Open Access, the Nodal Agency shall communicate to the Applicant, the date from which Long-term/Medium-term Green Energy Open Access shall be granted and an estimate of the transmission charges likely to be payable based on the prevailing costs, prices and methodology of sharing of transmission charges specified by the Commission.
- (i) Immediately after grant of Long-term/Medium-term Green Energy Open Access, the Nodal Agency shall inform the SLDC so that the same is kept in view while considering requests for grant of Medium-term Green Energy Open Access and Short-term Green Energy Open Access, received by SLDC under these Regulations.
- (j) The Short term and Medium-term Green Energy Open Access shall be allowed, if there is sufficient spare capacity available in the transmission system without any augmentation whereas for Long-term Green Open Access, the transmission system may be augmented if required:

Provided that priority shall be given to long term in the existing system if spare capacity is available and further, open access for non-fossil fuel sources shall be given priority over the open access from the fossil fuel.

(k) Before the expiry of the period of Long-term/Medium-term Green Energy Open Access, the same may be extended by the Nodal Agency on receipt of a written request from such Consumer. The request shall be accompanied by the application fee in accordance with these Regulations:

Provided that such request is submitted at least six (6) Months prior to the date on which the existing Long-term Green Energy Open Access ends and at least one (1) Month prior to the date on which the existing Medium-term Green Energy Open Access ends. The consumer shall clearly mention in the application, the period for which extension is required.

Provided further that in case no written request is received from the Open Access Consumer within the specified time, the said Long-term/Medium-term Green Energy Open Access shall stand terminated automatically at 24:00 hours on the date up to which it was initially granted.

- (1) After expiry of the period of the Long-term/Medium-term Green Energy Open Access, the Open Access Consumer shall not be entitled to any overriding preference for renewal of the term.
- (m) A Long-term/Medium-term Green Energy Open Access Consumer may relinquish the Long-term/Medium Green Energy Open Access rights fully or partly beforethe expiry of the full term of the Long-term/Medium Green Energy Open Access by giving notice and paying the compensation amount to the Nodal Agency as provided in Clause 9.1 of these Regulations.
- (n) No application for Green Energy Open Access shall be denied unless the applicant has been given an opportunity of being heard in the matter and all orders denying open access shall be speaking orders.
- (o) Appeals against an order of the concerned State nodal agency, shall lie before the Commission, within a period of thirty days from the date of receipt of order.
- (p) The Commission shall dispose of the appeal within a period of three months and the order issued by it shall be binding on the parties.
- (q) Nodal Agency/Distribution Licensee shall prepare procedure for Green Energy Open Access consisting of documents, formats etc. required to be submitted for Green Energy Open Access in line with the provisions of Act, Rules, Regulations, orders and procedure followed by Central Nodal Agency, for smooth implementation of the Green Energy Open Access in the State and get approved from the Commission.
- (r) For 12 time-blocks Green Energy Open Access Consumer shall not change the quantum of power consumed through open access so as to avoid high variations in demand to be met by the distribution licensee.

Provided that formats and timelines devised by Central Nodal Agency as per provisions of Rules shall be followed for seeking Green Energy Open Access.

Provided also that in case of Short-Term Green Energy Open Access, State Load Despatch Centre and in case of Long-Term Green Energy Open Access and Medium-Term Green Energy Open Access, the State Transmission Utility (STU) shall perform duties of Nodal Agency as stipulated in the procedure framed by Central Nodal Agency.

Provided that Nodal Agency shall coordinate with transmission licensees including STU and the Distribution Licensees to make available all relevant information regarding Green Energy Open Access to the public on the portal of the Central Nodal Agency.

Provided that Nodal Agency shall prepare procedure for Green Energy Open Access consisting of documents, formats etc. required to be submitted for Green Energy Open Access in line with the provisions of Rules, Regulations and procedure followed by Central Nodal Agency, for smooth implementation of the Green Energy Open Access in the State and get it approved from the Commission.

3.7 (B) Procedure for applying for Day Ahead Green Energy Open Access Transactions

- a) The applicant shall apply to the Central Portal for Day Ahead Green Energy Open Access Transactions in the standard application format.
- b) For the applications received by the Nodal Agency from the Central Nodal Agency, before 12:00 hours of the day immediately preceding the day of scheduling for day-ahead Green Energy Open Access transaction, the Nodal Agency shall check for congestion in the system and convey grant of approval or otherwise to the applicant through e-mail or fax, not later than 14:00 hours of the day immediately preceding the day of scheduling for day-ahead transaction, after ensuring that there is no subsisting PPA for the capacity sought under Green Energy Open Access.
- c) Non-refundable processing fee of Five Thousand Rupees for each transaction shall be paid by the applicant, in manner as prescribed by the Nodal Agency like by way of a demand draft or proof of payment through electronic transfer in favour of the Nodal Agency.

Provided that the actual operationalization of Green Energy Open Access shall be effected subject to payment by the applicant of the charges as specified in these Regulations and orders passed by the Commission from time to time, before 17:00 hours of the day immediately preceding the day of scheduling for day ahead transaction.

Provided further that for 12 time-blocks, the consumer shall not change the quantum of power consumed through open access so as to avoid high variations in demand to be met by the distribution licensee.

- d) Where Green Energy Open Access is denied, the State Nodal Agency shall furnish reasons thereof to the applicant.
- e) The reserved capacity by a Short-term Green Energy Open Access Consumer is not transferable to others.
- f) The capacity available as a result of surrender or reduction or cancellation of the reserved capacity by the SLDC, may be reserved for any other Short-term Green Energy Open Access Consumer in accordance with these Regulations.
- g) Upon expiry of the period of Short-term Green Energy Open Access, the Consumer, Generating Station or Licensee, as the case may be, shall not be entitled to any priority for renewal of the term.

24) The following proviso shall be added after 2nd proviso of Regulation 3.9(2) of the Principal Regulations:

"Provided that Open Access for "non-fossil fuel" sources shall be given priority over the open access from "fossil fuel"."

- 25) In Regulation 3.10 "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access."
- 26) Heading of Chapter-4 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"Chapter 4: Open Access/Green Energy Open Access Charges"

27) Amendment in Regulation 4.1 of the Principal Regulations:

- i. In Regulation 4.1(1), "/Long-term Green Energy Open Access" shall be added after "Long-term Open Access", "/Medium-term Green Energy Open Access" shall be added after "Medium-term Open Access", "/Short-term Green Energy Open Access" shall be added after "Short-term Open Access" and "Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access"
- ii. In Regulation 4.1(3), "/Long-term Green Energy Open Access" shall be added after "Long-term Open Access", "/Medium-term Green Energy Open Access" shall be added after "Medium-term Open Access" and "/Short-term Green Energy Open Access" shall be added after "Short-term Open Access".

28) Amendment in Regulation 4.2 of the Principal Regulations:

i. In Regulation 4.2(1) and its proviso, "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access", "/Long-term Green Energy Open Access" shall be added after "Long-term Open Access" and "/Medium-term Green Energy Open Access" shall be added after "Medium-term Open Access".

- ii. In Regulation 4.2(1) and its proviso, "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access", "/Long-term Green Energy Open Access" shall be added after "Long-term Open Access" and "/Medium-term Green Energy Open Access" shall be added after "Medium-term Open Access".
- iii. In Regulation 4.2(2), "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".
- iv. In Regulation 4.2(4), "/Long-term Green Energy Open Access" shall be added after "Long-term Open Access", "/Medium-term Green Energy Open Access" shall be added after "Medium-term Open Access" and "/Short-term Green Energy Open Access" shall be added after "Short-term Open Access".

29) Amendment in Regulation 4.3 of the Principal Regulations:

- i. In Regulation 4.3(1)(a), "/Long-term Green Energy Open Access" shall be added after "Long-term Open Access" and "/Medium-term Green Energy Open Access" shall be added after "Medium-term Open Access".
- ii. In Regulation 4.3(1)(b), "/Short-term Green Energy Open Access" shall be added after "Short-term Open Access".
- iii. In Regulation 4.3(2), "/Long-term Green Energy Open Access" shall be added after "Long-term Open Access", "/Medium-term Green Energy Open Access" shall be added after "Medium-term Open Access" and "/Short-term Green Energy Open Access" shall be added after "Short-term Open Access".

30) Amendment in Regulation 4.4 of the Principal Regulations:

- i. In Regulation 4.4(1), "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".
- ii. The following proviso shall be added after Regulation 4.4(1):

Provided that the cross-subsidy surcharge for Green Energy Open Access Consumer purchasing green energy from a generating plant using renewable energy sources, shall not be increased during twelve years from the date of operating of the generating plant using renewable energy sources, by more than fifty percent of the surcharge fixed for the year in which open access is granted.

Provided also that cross-subsidy surcharge shall not be applicable in case power produced from a non-fossil fuel-based Waste-to-Energy plant is supplied to the Open Access Consumer.

Provided also that such cross-subsidy surcharge shall not be levied in case distribution access is provided to a person who has established a captive generation plant for carrying the electricity to the destination of his own use.

Provided also that cross-subsidy surcharge shall not be applicable if green energy is utilized for production of green hydrogen and green ammonia.

iii. Regulation 4.4(4) shall be omitted.

31) The following Regulation shall be added after Regulation 4.5(7) of the Principal Regulations:

8. The Additional Surcharge shall not be applicable to the Green Energy Open Access consumer for the quantum of Green Energy Open Access availed if the fixed charge is being paid by such Green Energy Open Access consumer to the distribution licensee for the quantum of Green Energy Open Access availed up to contract demand / sanctioned load with the licensee:

Provided that in case the quantum of Green Energy Open Access availed by the Green Energy Open Access consumer is more than the contracted demand / sanctioned load with the licensee and no fixed charge or demand charge is being paid or payable for additional quantum, in that case the Additional Surcharge determined by the Commission from time to time as per the Tariff Orders of the Commission shall be applicable for such additional quantum availed over the contracted demand/ sanctioned load.

Provided further that such additional surcharges shall not be levied in case distribution access is provided to a person who has established a Captive Generation Plant for carrying the electricity to the destination of his own use.

Provided also that Additional Surcharge shall not be applicable in case power produced from Waste-to-Energy plant is supplied to the Green Open Access Consumer.

Provided further also that additional surcharge shall not be applicable in case electricity produced from offshore wind projects, which are commissioned up to December, 2032 and supplied to the Open Access Consumers.

Provided also that Additional Surcharge shall not be applicable if green energy is utilized for production of green hydrogen and green ammonia.

32) Amendment in Regulation 4.6 of the Principal Regulations:

i. The following proviso shall be added after Regulation 4.6(1):

Provided that the standby charges shall not be applicable, if the Green Energy Open Access Consumers have given notice, at least a day in advance before closure time of the Day Ahead Market on D - [minus] 1 day, 'D' being the day of delivery of power for standby arrangement to the distribution licensee.

ii. The following proviso shall be added after 1st proviso of Regulation 4.6(3):

Provided that the applicable standby charges for Green Energy Open Access Consumer shall not be more than 25% of the energy charges applicable to the consumer tariff category.

- 33) In Regulation 4.7 "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".
- 34) Heading of Regulation 4.9 shall be substituted as under:

"Applicability of Open Access/Green Energy Open Access charges"

- 35) The title of Table 6 shall be read as "Applicability of charges for Short-term Open Access/Short-term Green Energy Open Access Consumers
- 36) The title of Table 7 shall be read as "Applicability of charges for Medium-term Open Access/ Medium-term Green Energy Open Access Consumers
- 37) The title of Table 8 shall be read as "Applicability of charges for Long-term Open Access/ Long-term Green Energy Open Access Consumers
- 38) Regulation 4.10 shall be added after Regulation 4.9 of the Principal Regulations as under:
 - 4.10 Charges to be levied for Green Energy Open Access:

The charges to be levied on Green Energy Open Access consumers shall be as follows, namely:-

- a) Transmission Charges;
- b) Wheeling Charges;
- c) Cross Subsidy Surcharge;
- d) Additional Surcharge wherever applicable;
- e) Standby Charges wherever applicable;
- f) Reactive Energy Charges wherever applicable;
- g) Banking Charge wherever applicable; and
- h) Other fees and charges such as Load Despatch Centre fees and scheduling charges, deviation settlement charges as per the relevant Regulations of the Commission.
- 39) In Regulation 5.2 "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".
- 40) In Regulation 6.1(1), 6.1(2), 6.1(3), 6.1(6) and 6.1(10) "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".
- 41) In Regulation 6.2 "/Long-term Green Energy Open Access" shall be added after "Long-term Open Access", "/Medium-term Green Energy Open Access" shall be added after "Medium-term Open Access", "/Short-term Green Energy Open Access" shall be added after "Short-term Open Access" and "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".
- 42) In Regulation 7.1 "/Long-term Green Energy Open Access" shall be added after "Long-term Open Access", "/Medium-term Green Energy Open Access" shall be added after "Medium-term Open Access", "/Short-term Green Energy Open Access" shall be added after "Short-term Open Access" and "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".
- 43) "Chapter 7A: Banking of Energy" of the Principal Regulations shall be substituted as under:
 - "7A.1 Terms and Conditions for Banking of Energy
 - 1. The Distribution Licensee shall allow the arrangement of Banking of Energy to the consumers availing Green Energy Open Access in State/Union Territory, who intend to avail such facility, in its area of

supply on non-discriminatory basis in accordance with the guidelines issued by the Distribution Licensee:

Provided that these Regulations shall not be applicable for the plants covered under the Joint Electricity Regulatory Commission (Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering) Regulations, 2019 and its amendment from time to time.

Provided further that the surplus energy of a Green Energy Open Access consumer from a "Green Energy" Generating station, after consumption in its premises, shall be banked with the distribution licensee.

- 2. The banking facility including injection of surplus energy and drawl of banking of energy by the Green Energy Open Access Consumer shall be subject to scheduling.
- 3. The banking shall be permitted on monthly/billing cycle basis:

Provided that the energy banked during peak TOD slots may be drawn during off-peak TOD slots, but the energy banked during off-peak TOD slots will not be drawn during peak TOD slots.

- 4. Banking Charges at the rate of 8% of the banked energy shall be applicable in kind. Banking Charges shall be applicable at the time of drawal of banked energy.
- 5. The permitted quantum of banked energy in each month by the Green Energy Open Access consumers shall be upto a maximum of thirty percent (30%) of the total monthly consumption of electricity from the distribution licensee by the Green Energy Open Access consumer.

Provided that the credit for banked energy shall not be permitted to be carried forward to subsequent months/next billing cycle and the credit of energy banked during the month/billing cycle shall be adjusted during the same month/billing cycle.

Provided further that the un-utilised surplus banked energy shall be considered as lapsed at the end of each billing cycle and the Renewable Energy generating station shall be entitled to get Renewable Energy Certificates to the extent of the lapsed banked energy.

Provided further that, the energy banked during peak TOD slots shall be permitted to draw during peak as well as off-peak TOD slot by paying the banking charges as specified in this Regulation. However, the energy banked during off-peak TOD slots shall be permitted to draw during off-peak TOD slot only.

Provided also that withdrawal of banked energy shall be allowed only during the same month in which the energy has been banked.

- 6. Open Access Consumer/Green Energy Open Access Consumer and Distribution Licensee and/or Transmission Licensee shall enter into a Wheeling, Transmission and Banking Agreement (WTBA). The format of Wheeling, Transmission and Banking Agreement is attached as Annexure-I.
- 7. Open Access Consumer/Green Energy Open Access Consumer and the Distribution Licensee shall enter into a Connection Agreement upon grant of Connectivity. The format of the Connection Agreement is attached as Annexure-II.

Provided that the Connection Agreement between a Transmission Licensee and Open Access Consumer/Green Energy Open Access Consumer, as the case may be, shall be issued by the STU".

"7A.2 Commercial Settlement of Banking

- 1. For each billing period, the Distribution Licensee shall show the quantum of electricity injected in the billing period, quantum of electricity withdrawn by the Green Energy Open Access Consumer from such Generating Station in the billing period and net electricity qualifying for payment by the Green Energy Open Access Consumer for that billing period at the end of each month separately.
- 2. If the electricity injected exceeds the electricity withdrawn during the billing period, such excess injected electricity shall be considered as lapsed at the end of each month and no compensation shall be applicable on such energy at the end of the month.
- 3. If the electricity withdrawn exceeds the electricity injected by the RE-based Generating Station, the Distribution Licensee shall raise invoice for the net electricity withdrawn by the Green Energy Open Access consumer at appropriate tariff/charges after taking into account Banking Charges".

- 43) In Regulation 8 "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".
- 44) In Regulation 9 "/Long-term Green Energy Open Access" shall be added after "Long-term Open Access", "/Medium-term Green Energy Open Access" shall be added after "Medium-term Open Access", "/Short-term Green Energy Open Access" shall be added after "Short-term Open Access" and "/Green Energy Open Access" shall be added after "Open Access".
- 45) The following proviso shall be added after 3rd Proviso of Regulation 9.4(1) of the Principal Regulations:

"Provided also that the curtailment of Green Energy Open Access shall be after Open Access from "fossil fuel". The Green Energy Open Access curtailment priority shall be first Short-term Green Energy Open Access, next Medium-term Green Energy Open Access and next Long-term Green Energy Open Access.

Provided also that within a category, the Green Energy Open Access consumers shall have equal curtailment priority and shall be curtailed on pro-rata basis."

By Order of the Commission, S.D.SHARMA, Secretary (I/c) [ADVT.-III/4/Exty./506/2024-25]

ANNEXURE I – MODEL WHEELING, TRANSMISSION AND BANKING AGREEMENT

Part I – WHEELING AND TRANSMISSION AGREEMENT

BETWEEN
[Enter name of Distribution Licensee]
[Referred to as Party of the First Part]
AND
[Enter name of LTC/MTC*]
[Referred to as Party of the Second Part]
AND
[Enter name of Transmission Licensee
[Referred to as Party of the Third Part]

1. Distribution Licensee – In case of BPWA with or without Banking agreement

-Relevant Parties to the Agreement:

- 2. LTC/MTC Long-term/Medium-term Customer in all agreements
- 3. Transmission Licensee In case of BPTA with or without Banking agreement

*Strike-through whichever is not applicable at all occurrences in the Agreement. In case LTC/MTC is Distribution Licensee, clauses on Inter-connection, Undertakings, Wheeling of Energy in the Agreement shall be interpreted accordingly

This TRANSMISSION AGREEMENT / WHEELING AGREEMENT (as applicable) is entered into on...... [enter day] day of [enter month] Two Thousand......[enter year] between [enter name of Distribution Licensee/Electricity Department], a company incorporated under the Companies Act, 1956, having its Registered/Head office at (hereinafter called"....."which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successors and assigns), as party of the First part and between [Name of Long Term Customer/ Registered/Head office at (hereinafter called LTC/MTC as Medium Term Customer | having its individually "....." which expressions shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successors and assigns) as party of the Second part and between [Name of Transmission Licensee] (if transaction involves transmission network) having its Registered/Head office shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successors and assigns) as party of the Third part.

And whereas party of the First part is a Distribution Licensee, within the State of Goa or the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Lakshadweep, and Puducherry (as applicable) (hereinafter referred to as "the State or UTs, as applicable") and is bestowed with the responsibility to develop, own, operate and maintain an efficient, coordinated and economical distribution system in his area of supply in accordance with the provisions contained in the Electricity Act, 2003 (hereinafter

referred to as "the Act"); and to provide non-discriminatory open access/green energy open access u/s 42(3) of the Act, to its distribution system for use by any Licensee or Generating Company or consumer permitted under the Joint Electricity Regulatory Commission (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, and amendments thereof (hereinafter referred to as the JERC Open Access Regulations) on payment of wheeling charge, surcharge and additional surcharge and other charges (as may be applicable) as provided in the JERC Open Access Regulations.

[enter any one of the following for party of the Second Part]

And whereas Party of the Second Part is a distribution licensee who has entered into agreement(s) for the purchase of electricity from generating company(ies) or licensee(s) and/or sale of electricity to licensee(s) situated within and/or outside the State on long/medium term basis as specified in Annexure A; [...if LTC/MTC is a licensee]

or

And whereas Party of the Second Part is a generating company who has entered into agreement(s) for sale of electricity to the licensee(s) and/or consumer(s) situated within and/or outside the State on long/medium term basis as specified in Annexure A; [...if LTC/MTC is a generating company including Renewable Energy Generating Station]

or

And whereas Party of the Second Part is a generating company operating or will operate a plant qualified as 'Captive Generating Plant' under the provisions of the Act and is willing to carry electricity from its captive generating plant to the destination(s) of use at.......... [enter destinations] and/or has scheme to sell electricity to licensee(s)/consumer(s) [enter if applicable] situated within and/or outside the State and/or outside the State on long/medium term basis as specified in Annexure A; [...if LTC/MTC is a generating company operating as captive generating plant]

or

And whereas Party of the Second Part is a consumer, permitted to seek open access/green energy open access under the provisions of JERC Open Access Regulations as amended from time to time, who has entered into agreement(s) for purchase of electricity from generating company (ies) or licensee(s) situated within and/or outside the State on long/medium term basis as specified in Annexure A; [...if consumer is permitted as LTC/MTC].

And whereas Party of the Third Part is a Transmission Licensee owning and operating transmission system in the State of Goa or Union Territories of (as applicable), as per its Licence, and is under a statutory obligation to provide non-discriminatory open access, under the provisions of section 40 (c) of the Electricity Act, 2003 and in accordance with JERC Open Access Regulations, 2017 as amended from time to time;

And whereas agreement(s) for purchase and/or sale of electricity signed by LTC/MTC, require exchange of energy upto kW/MW individually between him and specified seller(s) or buyer(s) (strikeout whichever is not applicable), as the case may be, for a fixed or varying quantum of power (kW/MW) at specified point(s) of injection and drawal interfaced with distribution system of party of the First part or interfaced with transmission system of party of Third Part;

And whereas LTC/MTC is desirous to avail long/medium term open access/green energy open access to distribution system of party of the First part for wheeling of electricity and/or Transmission System of party of Third Part for transmission of electricity between point(s) of injection and drawl in accordance with JERC Open Access Regulations as amended from time to time; as detailed in Annexure-A;

And whereas LTC/MTC and Party of the First Part and/or Party of the Third Part have agreed to comply with such obligations, duties, time schedules, instructions or any other directions as set out by STU in JERC Open Access Regulations;

And whereas party of the First Part and/or Party of the Third Part has agreed to undertake wheeling and/or transmission of electricity from the point(s) of injection to point(s) of drawal, as detailed in Annexure-A, through distribution and/or transmission system built, maintained and operated by it and as strengthened from time to time on mutually agreed terms and conditions;

And whereas LTC/MTC has agreed to comply with installation of ABT compatible meters at point(s) of injection and drawl and meet all requirements of communication as mandated by STU;

And whereas LTC/MTC has agreed to make payment strictly as per provisions of JERC Open Access Regulations;

And whereas LTC/MTC has agreed to ensure compliance of directions issued by party of the First Part and/or party of the Third Part through any instrument prior to or after grant of long/medium-term open access/green energy open access;

And whereas the party of the First part and/or party of the Third part and party of the Fourth part have as per their letters dated given their consent for wheeling and/or transmission and banking [banking in the case of Renewable Energy Generating Stations (including RE based Captive Generating Stations) only] subject to the Terms and Conditions as set out in this agreement.

NOW THEREFORE in consideration of the foregoing premises and mutual agreements, covenants and conditions set forth herein, party of the First Part and/or Party of the Third Part and Party of the Fourth Part (in case of Banking) and LTC/MTC, i.e., Party of the Second Part do hereby agree as follows:-

DEFINITIONS

Any Words and expressions used in this Agreement shall have the same meaning as defined in the Act, JERC Open Access Regulations 2017 (as amended from time to time), JERC Grid Code, JERC Electricity Supply Code or any other JERC Regulations.

A. INTER-CONNECTION

- The LTC/MTC shall be connected with the network of the Transmission/Distribution Licensee in accordance
 with the connectivity agreement under the provisions JERC Open Access Regulations. In case the above
 Regulations do not specify connectivity standards for a particular voltage level, the same shall be in
 accordance with the JERC Grid Code, JERC Electricity Supply Code or any other applicable JERC
 Regulations or CEA standards.
- Exchange of power shall be in accordance with the connectivity agreement under the provisions of JERC Open Access Regulations, details of which are to be specified in Annexure A. The system upto injection point and subsequent to drawl point shall be operated and maintained by LTC/MTC.
- 3. The LTC/MTC shall install, at its own cost, protection equipment, viz., protection system, communication system or similar equipment for the protection of its own equipment as well as equipment of the Transmission/Distribution Licensee. LTC/MTC shall obtain the approval of the Transmission/Distribution Licensee for the specifications of such equipment and shall furnish the test reports to the Transmission/Distribution Licensee, as may be required.
- 4. The LTC/MTC shall get its facilities and/or equipment inspected by the Transmission/Distribution Licensee before commencement of wheeling and/or banking and/or transmission and annually thereafter. Further, the LTC/MTC shall obtain the following approvals:
 - a) Approval of the Electrical Inspectorate for the purpose of electrical safety;
 - b) Synchronization approval from the Transmission/Distribution Licensee;
 - c) Written approval / concurrence for wheeling and/or banking and/or transmission of injected energy shall be in accordance with JERC Open Access Regulations, 2017 and its amendments, thereof, before synchronization:

Provided that if the approval/concurrence is not made within the specified time limit of above provisions, then it shall be deemed as approved;

- 5. The LTC/MTC shall ensure that the metering and protection facility be, open on notice for inspection by the authorized representatives of the concerned Transmission/Distribution Licensee;
- 6. LTC/MTC shall give written notice of at least fifteen days in advance to the STU/Transmission Licensee/Distribution Licensee before the commercial operation date where no system strengthening is involved. However, if system strengthening is involved, then the timelines will be in accordance with JERC Open Access Regulations, 2017 and its amendments, thereof. The same shall also be intimated in writing to the respective SLDC;
- 7. The Transmission/Distribution Licensee shall not be liable for losses or damages, if any, consequent to any line outage prior to injection point or subsequent to drawl point, for any reason whatsoever, due to which power is not evacuated.

B. UNDERTAKINGS

1. Obligations of the [Name of LTC] / [Name of MTC]:

- i. The LTC/MTC at all times shall have statutory approvals, clearances, and permits as set out in Annexure-B of this agreement. Further, LTC/MTC shall undertake to establish, operate & maintain its own system in accordance with the Act, JERC State Grid code, Electricity Supply Code and other applicable Regulations, Rules, Codes, and Standards abiding prudent utility practices.
- ii. The LTC/MTC shall be liable to pay all applicable charges in accordance with JERC Open Access Regulations, 2017 and its amendments, thereof and other applicable JERC Regulations.
- iii. The LTC/MTC shall pay any applicable taxes, cess, duties or levies imposed by the Government or Competent Authority from time to time.
- iv. The LTC/MTC shall furnish when required, any data necessary for the system studies conducted by the Transmission/ Distribution Licensee.
- v. The LTC/MTC shall establish Letter of Credit and make payment of bills as per JERC Open Access Regulations, 2017 and its amendments, thereof.
- vi. LTC/MTC shall comply with instructions/directions of the State/Area Load Dispatch Centre.

2. Obligations of Transmission/Distribution Licensee

The [Name of Transmission Licensee] [Name of Distribution Licensee] shall:

- i. Abide by the JERC State Grid code, JERC Electricity Supply Code and other applicable JERC Regulations, Rules, Codes and Standards.
- ii. Shall own, operate and maintain its transmission/distribution system and shall develop additional transmission/distribution system from time to time in order to maintain an efficient, co-ordinated and economical transmission/distribution system in accordance with the provisions of the Act, Rules and Regulations in force. Such system may also be used by LTC/MTC in synchronism with Inter-State transmission system, as the case may be, for conveyance of contracted capacity under open access between specified point(s) of injection and drawl as detailed in Annexure A.
- iii. shall endeavour to maintain reliability of power except in case of occurrences or situations beyond its control for which distribution/transmission licensee shall not be held responsible and LTC/MTC agrees to indemnify distribution/transmission licensee on that account.
- iv. shall have right to take measures to prevent imminent damage to any equipment installed in its distribution/transmission system and LTC/MTC agrees for curtailment of supply, if any,that occurs due to such measures taken up by distribution/transmission licensee. However, Distribution/Transmission Licensee agrees to notify LTC/MTC about such occurrence, in advance if planned, otherwise after occurrence in case of emergency. The Distribution/Transmission Licensee shall ensure to take remedial measures to prevent or avert repetition of such occurrences in future.
- v. The Transmission/Distribution Licensee shall not impose any restrictions on the operation of LTC/MTC except for reasons of safe operation of the grid.
- vi. The Transmission/Distribution Licensee shall not be liable to pay any compensation for any damage caused to any system of LTC/MTC resulting from parallel operation with the grid.

C. METERING

- 1. Installation, periodical testing, calibration, maintenance of meters, checking and other related aspects (for both main and check meters) shall be undertaken in accordance with the JERC Open Access Regulations, 2017 and amendments thereof read with provisions specified in the JERC Grid Code.
- 2. In case any tampering of metering cubicle or energy meters is detected or observed at injection or drawal points, the Transmission/Distribution Licensee shall have the right to withdraw the Wheeling facilities and/or Banking facility to the LTC/MTC subject to the 30 days notice period to the defaulting entity to file its response. The Transmission/Distribution Licensee shall give in writing the reasons for withdrawal of wheeling and/or Banking facility.

D. WHEELING OF ENERGY:

1. Since approval of open access/green energy open access is granted prior to signing BPTA/BPWA, accordingly

the transaction with its quantum of power along with parties to exchange stands approved at the time of signing BPTA. Any addition or deletion in the list of consumers shall be deemed approved by the Transmission/Distribution Licensee provided the transferred power capacity is within the earlier power quantum. No supplemental agreement shall be required to be signed, for such addition or deletion of the consumers.

- 2. Subject to JERC Regulations/Orders, the energy injected by the generation facility under wheeling shall be charged first to the consumption of LTC/ MTC and/or its customers. The residual energy at the end of settlement period shall be deemed to have been purchased by the Transmission/Distribution Licensee in whose jurisdiction the project is located and paid by such Transmission/Distribution Licensee subject to the provisions of the JERC Open Access Regulations, 2017 and its amendments, thereof.
- In the event of system constraints, conditions prescribed in the applicable JERC Open Access Regulations, 2017 shall be adhered to.
- 4. The Transmission/Distribution Licensee reserves the right to withdraw the facility of wheeling and/or banking either wholly or partly in case of any breach of conditions of this agreement or under force majeure conditions. In case of establishment of any breach of condition of this agreement, the Transmission Licensee / Distribution Licensee shall grant 30 days curing period. If the party cures the breach Wheeling and/or banking shall be restored otherwise it shall be withdrawn. In such an event, Transmission/Distribution Licensee shall not be liable to pay any compensation or damages to the LTC/MTC.

E. ENERGY ACCOUNT

- 1. The recorded meter data as per the database maintained by STU/Distribution Licensee or Generating Station shall form the basis of billing and shall be binding on LTC/MTC.
- 2. It shall be the responsibility of the generating company or STU/Distribution Licensee to record the metered data, maintain database of all the information associated with the energy accounting and audit meters and verify the correctness of metered data. Each generating company or STU shall prepare quarterly, half-yearly and yearly energy account for its system for taking appropriate action for efficient operation and system development in accordance with provisions of the JERC State Grid Code, JERC Supply Code and other applicable JERC Regulations.

F. CHARGES

- For the purpose of Open Access/Green Energy Open Access, the charges shall be as per JERC Open Access Regulations, 2017 and its amendments, thereof, or other applicable Regulations and Orders of the Commission.
- 2. However, the Generating Facility shall be permitted to import power from the grid for start-up, maintenance and other allied purposes duly intimating the period for which such supply is required. In such cases, the actual energy drawn from the grid, as recorded by the import meter, shall be charged in accordance with the applicable Rate Schedule as provided in the Tariff Order of the Commission.
- 3. The infirm energy injected during the period from trial operation date after synchronization up to the commercial operation date shall be deemed to be sold to the Transmission/Distribution Licensee in whose jurisdiction the project is located and shall be paid for by such Transmission/Distribution Licensee at the rate specified in JERC Open Access Regulations, 2017, and its amendments, thereof.
- 4. Loss of Energy in wheeling and/or transmission shall be calculated as per the loss levels fixed by the Commission, from time to time, in its Tariff Order.

G. BILLING AND PAYMENT

- 1. Preparation of Energy Account, Billing and payment by LTC/MTC/Distribution Licensee shall be done in accordance with JERC Open Access Regulations, 2017 and its amendments thereof and other applicable JERC Regulations.
- 2. The payment of bills by LTC/MTC/Distribution Licensee shall be done in full even if there appears to be an error and the disputed amount shall be dealt in accordance with Clause 3 below.
- 3. In case of dispute, LTC/MTC shall file a written objection with *STU/ Distribution Licensee/ Transmission Licensee* preferably within 30 (thirty) days of presentation of the bill, giving following particulars:
 - i) Items disputed, with full details/data and reasons of dispute, and
 - ii) Amount disputed against each item.

STU/ Distribution Licensee/ Transmission Licensee shall resolve the above dispute(s) with LTC/MTC within 30 (thirty) days.

There will be no additional surcharge applicable on the disputed amount of bills during the said period of dispute resolution.

H. ARBITRATION

- The Parties hereby agree to attempt to resolve all disputes arising hereunder promptly, equitably and in good faith.
- 2. All disputes or differences between the Parties arising out of or in connection with this Agreement shall, as far as possible, be settled through mutual negotiations.
- 3. Each Party shall designate in writing and communicate to the other Party its own representative, who shall be authorized to resolve any dispute arising out of this Agreement.
- 4. If the designated representatives are unable to resolve a dispute under this Agreement within thirty (30) days after such dispute arises, then the parties shall refer the same to JERC for adjudication.
- 5. Notwithstanding the existence of any disputes and differences, the parties hereto shall continue to perform their respective obligations under this Agreement and/or as directed by the Commission by an order made in the proceedings during the course of dispute.

I. FORCE MAJEURE

1. In the event of Force Majeure conditions like war, mutiny, riot, earthquake, hurricane, strike, tempest, accident to machinery, affecting the wheeling of power, the Transmission/Distribution Licensee shall have no obligation to Wheel and/ or Bank the energy as per this agreement. However, they shall make all reasonable efforts to restore normalcy within 30 (thirty) days and if the same is not possible, this agreement will be treated as temporarily suspended for the period in which Force Majeure conditions continue including aforementioned 30 days.

During the period in which Force Majeure conditions prevail, Transmission/Distribution Licensee shall not be liable to pay any compensation or damage or any claims, whatsoever, for any direct or indirect loss that may be suffered by the LTC/MTC on account of wheeling/ banking of Electricity not being performed during the period.

J. IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

K. NOTICE

Any notice, communication, demand, or request required or authorized by this Agreement shall be in writing and shall be deemed properly given upon the date of receipt, if delivered by hand or sent by courier, if mailed by registered post, if sent by fax when dispatched (provided if the sender's transmission report shows the entire fax to have been received by the recipient and only if the transmission was received in legible form).

L. EFFECTIVE DATE AND DURATION OF AGREEMENT

This Agreement shall become effective upon the execution and delivery thereof by the Parties hereto, and unless terminated pursuant to other provisions of the Agreement, shall continue to be in force for such time for which Open Access/Green Energy Open Access is provided subject to the grant of Open Access/Green Energy Open Access for the period of renewal.

M. EVENTS OF DEFAULT

LTC/MTC's Default: The occurrence of any of the following events at any time during the term of this Agreement shall constitute an Event of Default by the LTC/MTC:

- 1. Failure or refusal by the LTC/MTC to perform any of its obligations agreed under this Agreement.
- 2. Failure by the Generating Facility to generate and inject and failure by LTC/MTC to wheel and/or transmit energy continuously for a period of six months in a Financial Year, as the case may be.
- 3. Non-payment of charges as specified in this agreement within the time specified in clause G(1) of this Agreement.

N. TERMINATION FOR LTC/MTCDEFAULT:

- 1. Upon the occurrence of any event of default as set out in clause M(1) and M(2) above, the Transmission/Distribution Licensee may deliver a Default Notice to the LTC/MTC in writing, which shall specify in reasonable detail the event of default giving rise to the default notice and call upon the LTC/MTC to cure the same within 30 days from the date of notice.
- In case the LTC/MTC fails to cure the default(s) notified in the above Notice within 30 (thirty) days of the notice, the Transmission/Distribution Licensee shall be entitled to terminate this Agreement with immediate effect.
- 3. Upon termination of this agreement, the Transmission/Distribution Licensee shall stand discharged of all its obligations undertaken under this Agreement. However, the Parties shall fulfil the payment obligations arising out of this Agreement prior to the date of termination.

O. NON-PAYMENT OF BILLS AND NON-ESTABLISHMENT OF LC

- In case the payment of any bill for charges payable under the Agreement is delayed by LTC/MTC, distribution/transmission licensee shall levy late payment surcharge as per the rate specified in the orders of the Commission.
- 2. LTC/MTC will make all efforts to open Bank Guarantee (BG) within a reasonable period. In the event of failure to establish/enhance BG within a reasonable period or alternatively if any bill remains unpaid in absence of BG for a period exceeding two months from the date of issue of the bill, distribution/transmission licensee shall inform SLDC to discontinue/regulate wheeling of electricity to LTC/MTC. SLDC at its own discretion may not consider scheduling such transaction or may cancel scheduling of already scheduled transaction or may not entertain any application of such customer in future until default is cured.

P. MISCELLANEOUS PROVISIONS

- 1. Waivers: Any failure on the part of a Party to exercise and any delay in exercising any right set out hereunder for a period exceeding three years shall operate as a waiver thereof. No waiver by a Party of any right hereunder with respect to any matter or default arising in connection with this Agreement shall be considered as a waiver with respect to any subsequent matter of default.
- **2. Limitation, Remedies and Damages**: Neither Party shall be liable to the other for any consequential, indirect or special damages to persons or property whether arising in tort, contract or otherwise, by reason of this Agreement or any services performed or undertaken to be performed hereunder.
- 3. Severability: Any provision of this Agreement, which is prohibited or unenforceable under any law, shall be ineffective to the extent of such prohibition or unenforceability without invalidating the remaining provisions hereof and without affecting the validity, enforceability or legality of such other provisions.
- **4. Amendments**: This Agreement shall not be amended, changed, altered, or modified except by a written instrument duly executed by the authorized representatives of concerned Parties and approved by the Commission.
- **5. Assignment**: The LTC/MTC shall not assign this Agreement or any portion hereof without the prior written consent of the Transmission/Distribution Licensee and approval of the Commission.

Provided further that any assignee shall expressly assume in writing the assignor's obligations arising under this Agreement prior to the assignment.

6. Entire Agreement, Appendices:

- a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transmission/Distribution Licensee and the LTC/MTC, concerning the subject matter hereof. The annexures, attachments and exhibits, if any, are hereby made an integral part of this Agreement and shall be fully binding upon the Parties.
- b) In the event of any inconsistency between the text of the Articles of this Agreement and the annexures, attachments or exhibits, if any, hereto or in the event of any inconsistency between the

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 53

provisions and particulars of one appendix, attachment or exhibit and those of any other appendix, attachment or exhibit, Transmission/Distribution Licensee and the LTC/MTC shall mutually consult to resolve the inconsistency.

- c) All previous model agreements concerning the subject stand repealed. However, any transaction taking place on the basis of earlier model agreements shall be deemed to be a valid transaction for such period as specified in the earlier model agreements.
- 7. Further Acts and Assurances: Each of the Parties after convincing itself agrees to execute and deliver all such further agreements, documents and instruments, and to do and perform all such further acts and things, as shall be necessary or convenient to carry out the provisions of this Agreement and to consummate the transactions contemplated hereby.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Agreement to be executed by their authorized representatives and copies delivered to each Party, as of the day and year first above stated.

Part - II Banking Agreement

BANKING (applicable in case of Banking of Power allowed as per JERC Open Access Regulations, 2017 and its amendments)

- The energy banked shall be settled as per JERC Open Access Regulations, 2017 and its amendments in respect of Renewable Energy Generating Stations allowed by the Commission.
- 2. The Distribution Licensee, in whose jurisdiction the Generating Facility is situated, shall pay at the tariff as per JERC Open Access Regulations, 2017 and its amendments, thereof, for the banked energy remaining unutilized at the end of every settlement period, subject to the settlement of banking charges as prescribed in the aforesaid Regulations.
- 3. The Banking as well as withdrawal of banked energy shall be subject to day-ahead scheduling only at the Point of Injection of Power. However, the captive generating facility (including renewable energy-based captive Generating Stations) may supply banked power to its consumers/users in accordance with JERC Open Access Regulations, 2017 including its amendments after payment of all applicable charges as per Open Access Regulations, 2017 including its amendments after adjusting the banking charges.
- 4. The power withdrawn by Renewable Energy Generating Stations/Captive Users of RE based Captive Generating Stations, as ascertained by SEMs readings, which is not against the banked power, shall be treated as sale and the financial settlement shall be made as per Regulation of JERC Open Access Regulations 2017, and its amendments, thereof.
- 5. Subject to the JERC Regulations/Orders, the energy injected by the generation facility shall first be adjusted towards the banked energy. After such adjustment, the balance energy shall be treated as per the provision of the JERC Open Access Regulations, 2017 and its amendments, thereof.

For and on behalf of	For and on behalf of	For and on behalf of
[enter name of Distribution Licensee/ Electricity Department]	[enter name of LTC/MTC]	[enter name of TransmissionLicensee]
(Signature with Name, Designation Address and Seal)	(Signature with Name, Designation Address and Seal)	(Signature with Name, Designation Address and Seal)
WITNESS	WITNESS	WITNESS
1	1	1
(Signature with Name and Address) 2	(Signature with Name and Address) 2	(Signature with Name and Address) 2
(Signature with Name and Address)	(Signature with Name and Address)	(Signature with Name and Address)
(Strike through whichever is not applic	able)

ANNEXURE-A

Injection	on Entity		
1.	Name of entity		
2.	Status of entity		
3.	Utility in which it is embedded		
4.	Interface with transmission or distribution system (as the case may be)		
	i) Name of sub-station		
	ii) Voltage level		
	iii) Name of licensee		
Drawee	e Entity		
1.	Name of entity		
2.	Status of entity		
3.	Utility in which it is embedded		
4.	Interface with transmission or distribution system (as the case may be)		
	i) Name of sub-station		
	ii) Voltage level		
	iii) Name of licensee		
Long T	erm Open Access/Green Energy Open Access Details		
1.	Date/Month of commencement of the open access/green energy open access		
2.	Period of open access/green energy open access		
2			
3.	Duration of open access/green energy open access (Time block)		
4.	Capacity (kW/MW) at point of Injection		
	ANNEXURE-B		
PERM	ITS, CLEARANCES AND APPROVALS		
1.	Permission for Grant of Connectivity and Approval of Open Access/Green Energy Open Access.		
2.	Synchronization approval and Commissioning report from Transmission/Distribution Licensee.		
3.	Wheeling and Banking (wherever applicable) approval by the nodal agency		
4.	Approval of the Electrical Inspector, for Commissioning of the transmission line for evacuation of power from the project to the injection point/substation.		
5.	Approvals required under any law for the time being in force.		
	ANNEXURE II: CONNECTION AGREEMENT		
This ag	reement is made onday of20between,		
(i)	_(Name)_of(Address)(Hereinafter referred to as the "DistributionLicensee";		
(ii)	(Name)_of(Address)(Hereinafter referred to as the "Applicant";		
	as the Distribution Licensee has a Licence to operate and maintain a Distribution System for supplying ity to Consumers in the area of supply specified in his Licence:		

Whereas the Applicant is a [Generating Station/ Licensee] eligible to connect to the Distribution System of the Distribution Licensee in accordance with the provisions of the Act and the JERC (Connectivity and open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time:

This Agreement sets out the rights and obligations of the parties in respect of:

a) The provision of connection to the Distribution System by the Distribution Licensee to the Applicant and the payment for such connection by the Applicant;

b) the obligations of the Applicant in respect of such connection to the Distribution System of the Distribution Licensee;

The parties agree as follows:

1. Compliance with Act, Rules and Regulations

All parties to this Agreement shall comply with the provisions of the Act and the rules and Regulations laid down there under. Where any provision of this Agreement is inconsistent with the provisions of the Act and/ or the rules or Regulations laid down there under, the provisions of the Act, rules or Regulations, as the case may be, shall take precedence to the extent of such inconsistency.

Compliance with JERC for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017 and State Grid Code as amended from time to time.

All parties to this Agreement shall comply with the provisions of the JERC for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017 and its amendments, the State Grid Code to the extent applicable to them.

3. Term of Agreement

This Agreement shall commence from the date and time of commencement, as provided in the Agreement and shall continue for such duration as may be agreed between the parties, unless terminated in accordance with clause 2 herein.

4. Termination of Agreement

- 1. Any party intending to terminate this Agreement shall give the other parties not less than thirty days prior written notice of termination of this Agreement:
 - Provided, that termination shall be subject to settlement of all dues of the Distribution Licensees in accordance with the Act, the Regulations and this Agreement.
- 2. The Distribution Licensees may terminate this Agreement and disconnect the Applicant in the following circumstances, in accordance with the provisions of the Act:
 - a. the Applicant defaults in the payment of any charge or any other sum due from him as provided under Section 56 of the Act; or
 - b. any breach of Contract in an Open Access transaction where the Applicant is a party and which is affecting the Distribution Licensee or the Supply Distribution Licensee;
 - c. the Applicant does an act referred to in sub-section (3) of Section 163 of the Act; or;
 - d. the disconnection is authorized under any other provision of the Act, the Rules and Regulations made there under and/ or any other law for the time being in force.
- 3. The Applicant shall, within the notice period under clause 5.1 above, remedy or remove the cause or causes stated in the notice failing which the Distribution Licensee may terminate this Agreement from the date stated in the notice.
- 4. The reconnection of a disconnected Applicant shall be in accordance with the provisions of the Act and the Regulations.

5. Dispute Resolution

- 1. Each party shall use all reasonable endeavours to resolve any disputes through bilateral mechanisms that may be mutually agreed upon.
- Where any dispute between the Distribution Licensee and the Applicant under this Agreement cannot be bilaterally resolved, it shall be resolved in accordance with the JERC for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017 and its amendments.

6. Force Majeure

- i. If either party is unable wholly or partly to perform on time any obligation under this Agreement by reason of occurrence of a Force Majeure Event, that obligation shall be suspended, without liability, so far as the party's ability to perform is affected by the Force Majeure Event.
- ii. A party affected by a Force Majeure Event shall use all reasonable endeavours to remove the effect of each Force Majeure Event affecting its performance of this Agreement.

- iii. Subject to clause 7.2, if a party considers that a circumstance has arisen which constitutes or is likely to constitute or result in a Force Majeure Event, it shall as soon as reasonably practicable thereafter give to the other party, notice containing particulars of the Force Majeure Event including
 - a. its nature and likely duration,
 - b. the obligations affected by it and the nature and extent of its effect on those obligations; and
 - c. the steps taken to remove, overcome or minimize its effect:

Provided the Force Majeure conditions shall be implemented in accordance with for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017 and its amendments.

7. Changes of Agreement

The parties agree to negotiate in good faith any amendments to this Agreement that may be reasonably required as a result of experience gained in the introduction of Open Access in the State.

8. Agreement to Connect

- 1. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Distribution Licensee agrees to the Applicant's premises being connected and remaining connected to the Distribution System at the Connection Point and to the Connection Point remaining Energized for the term of this Agreement, except where authorized under the Act or the Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution Regulations.
- 2. The Applicant shall take all reasonable precautions as regards his Connection to the Distribution System of the Distribution Licensee to prevent any adverse effect on the;
 - a. Use of the Distribution System of the Distribution Licensee;
 - Quality and reliability of supply of electricity through the Distribution System of the Distribution Licensee; and
 - c. Safety of the Distribution Licensee's works and personnel, as may be required of the Applicant's in accordance with the Regulations specified under Section 53 of the Act.

9. Processing of Applications

- 1. Upon receipt of an application, the Distribution Licensee send his Authorized Representative to:
 - a. study the technical requirements of making Connection to the Distribution System
 - b. inspect the premises which is to be connected, with prior intimation to the Applicant
- 2. The Authorized Representative shall, in agreement with the applicant, fix the position of the mains, cut-outs or circuit breakers and meters and sanction the load for the premises:
 - Provided that the service position shall normally be at an accessible location and the meter shall be fixed at a height so as to enable convenient reading of meter and to protect the meter from any adverse weather conditions.
- 3. After an inspection referred to in Clause 9(1) above is carried out, the Distribution Licensee shall intimate the Applicant of the details of any works that are required to be undertaken for giving Connection, the charges to be borne by the Applicant thereon in accordance with Clause 10 below and list of outstanding documents and consents/ statutory permissions required to be obtained by the Applicant.
- 4. Upon receipt of a duly complete application accompanied with the required charges, and availability of suitable piece of land or room and all other consents and permissions as may be required, the Distribution Licensee shall sanction and carry out or may also permit to be carried out the works required to Energize the Connection Point.
- 5. The Distribution Licensee shall give, the Applicant, not less than 2 days prior notice of any tests for energizing the Connection and shall, immediately after energizing the Connection, notify the Applicant of the time and date of Connection of the facility.
- 6. The Applicant shall not, prior to receipt of such notification under Clause 5 above, perform any act so as to import electricity from or export electricity to the Distribution system through the Connection Point.
- 7. The works undertaken to provide the Connection to the Distribution System shall be maintained by the Distribution Licensee over the term of this Agreement.
- 8. The Distribution Licensee shall be entitled to use such works to provide a Connection to any other eligible person or to provide supply to any Consumer of such Distribution Licensee, except if such use is detrimental to the Connection to the Applicant or to the use of Distribution system in relation to such Consumer.

10. Principles of levy of charges

- Where the Connection entails works of laying a service-line from the distributing main to the Applicant's
 premises, the Distribution Licensee shall be authorized to recover all expenses incurred on such works from
 the Applicant based on the schedule of charges approved by the Commission under the Electricity Supply
 Code.
- Where the Connection entails works of installation of dedicated facilities, the Distribution Licensee shall be authorized to recover all expenses reasonably incurred on such works from the Applicant based on the approved schedule of charges.
- 3. Where such facilities have been provided by the Applicant, then such facilities may be retained by the Applicant upon termination of this Agreement:
 - Provided however that where the termination of this Agreement is due to the Applicant's failure to pay any sum under Section 56 of the Act, the Distribution Licensee, in addition to the rights available under that Section, shall be entitled to adjust such sums due from the recoverable amount of facilities to which the Applicant is connected or to retain facilities of such recoverable amount as to cover such sums due from such Applicant to the Distribution Licensee.
- 4. Where the Distribution Licensee permits an Applicant to carry out works for the Connection through a Licensed Electrical Contractor, the Distribution Licensee shall be entitled to only recover charges for supervision undertaken by the Distribution Licensee up to a maximum of 15 per cent of the cost of labour that would have been employed by the Distribution Licensee in carrying out such works.
- On completion of all works under this clause, the Distribution Licensee shall notify the Supply Distribution Licensee about completeness of work.

11. Change of Name

1. A Connection may be transferred in the name of another person upon death of the Applicant or in case of transfer of ownership or occupancy of the premises, upon application for change of name by the new owner or occupier:

Provided that such change of name shall not entitle the Applicant to require shifting of the Connection to a new premises.

- 2. The application for change of name shall be accompanied by such charges of the Distribution Licensee, as are approved under the Electricity Supply Code.
- 3. The application under Clause 11(1) shall be accompanied by:
 - a. consent letter of the transferor for transfer of Connection in the name of transferee;
 - b. in the absence of a consent letter, any one of the following documents in respect of the premises: (a) proof of ownership of premises; (b) in case of partition, the partition deed; (c) registered deed; or (d) succession certificate;
 - c. photocopy of licence / clearance with respect to the purpose for which electricity is being supplied to the premises, if required by statute;
 - d. Processing fee or receipt thereof
- 4. The Distribution Licensee shall communicate the decision on change of name to the Applicant, within 2 months from the date of application for change of name:

Provided that where the Distribution Licensees disallows or refuses to the change of name, it shall do so after affording the applicant for change of name a reasonable opportunity of being heard in the matter:

Provided further that the Distribution Licensees shall communicate the reasons of refusal in writing through letter, including by electronic means to the Applicant for change of name.

5. Any charge or any sum other than a charge due to the Distribution Licensee which remains unpaid by a deceased Consumer or erstwhile owner / occupier of premises, as the case may be, shall be a charge on the premises transmitted to the legal representatives / successors-in-law or transferred to the new owner / occupier of premises, as the case may be, and the same shall be recoverable by the Distribution Licensees as due from such legal representatives or successors-in law or new owner / occupier of the premises, as the case may be:

Provided that except in the case of transfer of connection to a legal heir, the liabilities transferred under this Clause 11(5) shall be restricted to maximum period of six months of the unpaid charges due to the Distribution Licensees in accordance with Section 56 of the Act and this Agreement.

12. Power Factor and Harmonics

- It shall be obligatory for the Applicant to maintain the average power factor of his load at levels prescribed by the Indian Electricity Rules, 1956 with such variations, if any, adopted both by the Distribution Licensee, in accordance with Rule 27 of the Indian Electricity Rules, 1956 and in accordance with the relevant orders of the Commission.
- 2. It shall be obligatory for the Applicant to control harmonics of his load at levels prescribed by the IEEE STD 519-1992, and in accordance with the relevant orders of the Commission.
- 3. The Distribution Licensee, may require the Applicant, within a reasonable time period, which shall not be less than 3 months, to take such effective measures so as to raise the average power factor or control harmonics of his installation to a value not less than the prescribed norm:

Provided that the Supply Distribution Licensee may charge penalty or provide incentive for low / high power factor and for harmonics, in accordance with relevant orders of the Commission.

13. Access to Premises

1. No person other than an Authorized Representative of the Distribution Licensee or any other person authorized under the Act and the rules and Regulations made there under shall be authorized to operate, handle or remove any electrical plant, electric lines or meter or break, remove, erase or otherwise interfere with the seals, name plates and distinguishing numbers or marks affixed on such property of the Distribution Licensee placed in the Applicant's premises:

Provided that such authorized Representative of both the Distribution Licensee shall not perform any of the acts under this Clause 13 except in the presence of the Applicant or his representative:

Provided further that the Distribution Licensees shall provide prior intimation to the Applicant of the visit of the Authorized Representative to the Applicant's premises, except where the Distribution Licensee has reason to believe that any person is indulging in unauthorized use of electricity and/ or is committing an offence of the nature provided for in Part XIV of the Act on such premises.

The Applicant shall permit entry into his premises for the authorized representatives of the Distribution Licensee to read, inspect, test, install, remove or replace the meters or to Energise or De-Energise the Connection Point.

14. Information Exchange

1. The Distribution Licensee and the Applicant agree to use their reasonable endeavours to provide each other, in a timely manner, such information in respect of the Open Access Consumers and their connection to and use of distribution system as either of them may possess and as the other may reasonably require to carry out their obligations under the Act, the Rules, the Connectivity and open Access in Intra-State Transmission and Distribution Regulations or this Agreement:

Provided that the provision of information under this clause shall be subject to the obligations of both parties to maintain confidentiality of such information being requested for, under the Act or any other law for the time being in force.

2. The Distribution Licensee and the Applicant agree to take reasonable steps to ensure that all information provided by either of them to the other under this Agreement is accurate and complete.

15. Governing Laws and Jurisdiction

The Agreement shall be governed by Indian Laws and Rules made there under.

16. Amendment to Connection Agreement

In case of modification to the point of Connection like re-allocation of bays, upgradation of voltage level, etc., by either of the parties, if mutually agreed, an amendment to the Connection Agreement shall be executed between the parties within 30 days of implementing such modification.

IN WITNESS WHEREOF the Distribution Licensee and the Applicant have caused this Agreement to be executed by duly authorized representative on date above first herein written.

Name & Signature

Name & Signature
Distribution Licensee

Applicant